राजस्थान विधान सभा

१८ वीं बैठक, बृहस्पतिवार, दिनांक ३१ मार्च, सन् १९५५ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर में ८ बज कर १३ मिनिट (प्रातः) पर प्रारम्भ हुई ।

(नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री चांदमल मेहता ।

प्रश्न संख्या ३१३

कृषि-विभाग की बोरिंग मशीनों से कार्य तथा उनसे आय

श्री चांदमल मेहता—क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) कृषि-विभाग में बोरिंग मशीनें कितनी हैं ?

(२) ५४–५५ के वर्ष के किस किस डिस्ट्रिक्ट में उक्त मशीनों से क्या क्या काम कराया गया ?

(३) उक्त मशीनों से किराये के रूप में कितनी आमदनी हुई ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग मंत्री, कृषि मंत्री की अनुपस्थिति में)—

(१) इस समय कृषि-विभाग में दो बोरिंग मशीनें (पाताल-फोड़ कूप) यानी ट्यूबवेल के कार्य के लिये उपलब्ध हैं ।

(२) १९५४-५५ में उपरोक्त दो मशीनों के द्वारा तीन ट्यूबवेल्स जयपुर जिले में व एक ट्यूबवेल सीकर जिले में तैयार किये गये ।

(३) उक्त मशीनों से किराये के रूप में १७९५४ रू० २ आना की आमदनी हुई ।

श्री चांदमल मेहता—इन मशीनों मे सर्विसेबल कितनी हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—दो ।

Page No.2

श्री चांदमल मेहता—इन मशीनों पर क्या कोई पर्मानेन्ट स्टाफ काम करने के लिए रखा जाता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां।

श्री चांदमल मेहता—इन मशीनों की रेट क्या है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—४०रू० फीट के अन्दाज से एडवान्स लिया जता है। बाद में खर्चा जो होता है उसको काट कर यदि बचता है तो वापिस किया जाता है।

श्री चांदमल मेहता—वह किस आधार पर दिया जाता है। स्टाफ पर उसमें से कितना खर्चा होता है और अन्य खर्चा कितना होता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह सारी लम्बी लिस्ट है जिसके आधार पर यह बनाया गया है। आप चाहें तो मैं उसको पढ़ दूं।

श्री चांदमल मेहता—स्टाफ का कितना है और दूसरा कितना है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—पर्सेन्टेज नहीं निकला है। सारी लिस्ट बता दूं तो अच्छा होगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो मशीनें कृषि विभाग के पास है वे राजस्थान की आवश्यकता के लिए अपर्याप्त है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसीलिए और मंगाने के बारे में सोचा जा रहा है। चार हैं, उनमें से दो वाटर बोर्ड को दे दीं और दो कृषि विभाग के पास है।

श्री चांदमल मेहता—कितनी मशीनें अगामी वर्ष में खरीद की जाने की योजना है सरकार के समक्ष ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इस समय तो कोई निश्चित योजना नहीं है।

श्री अध्यक्ष—Next Question !

प्रश्न संख्या ३१४

इस वर्ष कम्प्रेशर्स पर स्टाफ का तथा अन्य व्यय

श्री चांदमल मेहता—क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) कम्प्रेशर्स पर ५४-५५ के वर्ष में स्टाफ के लिये व दीगर कितना खर्चा किया गया ?

Page No.3

[श्री चांदमल मेहता]

(२) कम्प्रेशर्स से ५४–५५ के वर्ष में आमदनी कितनी हुई ?

(३) कम्प्रेशर्स की किराये की रेट प्रति फुट कितनी है ?

(४) कम्प्रेशर्स पर प्रति फुट खर्चा कितना पड़ता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(१) कम्प्रेशर के कार्य पर १९५४-५५ के वर्ष में स्टाफ व अन्य खर्चा ९७,९७५ रु० हुआ।

(२) कम्प्रेशर से १९५४-५५ के वर्ष में १,०३, ९८६ रु० की आमदनी हुई।

(३) प्रति फुट किराये की कोई निश्चित रेट नहीं है किन्तु कार्य आरम्भ करने से पूर्व ४० प्रति फुट के हिसाब से लिया जाता है।

(४) कम्प्रेशर पर प्रति फुट खर्चे का रेट कुए के घेरे व उसके अन्दर के पत्थर की किस्म पर निर्भर करता है। अनुभव से ऐसा देखा गया है कि ३५ रु० से ५० रु० तक प्रति फुट खर्चे का रेट आ जाता है।

श्री चांदमल मेहता—कम्प्रेशर मशीन के ऊपर स्टाफ का खर्चा कितना पड़ता है और दूसरे सामान वगैरह का खर्चा कितना पड़ता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सुपरविजन चार्जेज़ का १२ पर्सेन्ट खर्चा आता है।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि कम्प्रेशर में जितना किराया किसानों से लिया जाता है उतना काम नहीं हो पाता ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं, काम के आधार पर ही लिया जाता है। काम नहीं होता तो खर्चा लिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या सरकार की जानकारी में ऐसी बात आई है कि कूओं में सुरंगें और डेनामाइट लगाना किसानों को कम्प्रेशर के बनिस्बत ज्यादा सस्ता पड़ता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अगर ऐसा होता तो किसान कम्प्रेशर्स की मांग नहीं करते। बारूद व डेनामाइट से काम करना चाहें तो कर सकते हैं।

श्री कंवरलाल जेलिया—बारूद का प्रति फुट कितना खर्चा पड़ता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह हिसाब नहीं रखा है। अगर इस सम्बन्ध में अलग से प्रश्न करें तो मैं जानकारी करके सूचना दे सकता हूं।

श्री कंवरलाल जेलिया— क्या यह सही है कि कोटा जिले में लाडपुरा ग्राम में कम्प्रेशर की मशीन जो आई वहां कोई संतोषजनक कार्य नहीं किया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री कंवरलाल जेलिया—सूचना दे दी जायगी तो क्या एक्शन लेंगे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सूचना दे रहे हैं कि यह ठीक नहीं है तो बराबर एक्शन लिया जायगा ।

श्री कंवरलाल जेलिया—कम्प्रेशर से जो कार्य होता है उससे किसानों को पर्याप्त संतोष नहीं है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—पर्याप्त संतोष है, ऐसा देखा गया है क्योंकि जगह जगह से मांग आ रही है ।

श्री कंवरलाल जेलिया—किसानों के साथ उनका अच्छा व्यवहार नहीं होता और इससे किसानों को संतोष नहीं मिलता ।

श्री भोगीलाल पंड्या—आप यह सूचना दे रहे हैं, इसलिए इसकी जानकारी प्राप्त करके आपको सूचना दे दूंगा ।

श्री कंवरलाल जेलिया—जानकारी लेने के बाद क्या कदम उठावेंगे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जो उचित होगा ।

श्री कंवरलाल जेलिया—गोलमाल भाषा में जवाब नहीं चाहिए, सही जवाब चाहिए ।

(घन्टी)

श्री दिलीपसिंह—४० रु० बताया तो कितना डाइमीटर का होता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अलग-अलग है । दस के भी हैं । एक फुट पर जितना खर्चा आता है उतना चार्ज किया जाता है ।

श्री दिलीपसिंह—खर्च का अन्दाज कैसे किया जाता है ? ४० रु० तो मिनिमम है, उससे कम तो लेते नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—४० रु० एडवान्स लिये जाते हैं । कम खर्चा आता है तो वापिस दे दिये जाते हैं और ज्यादा खर्चा आता है तो जो अधिक होता है वह वसूल कर लेते हैं ।

श्री कंवरलाल जेलिया—माननीय मन्त्री जी जो उत्तर दे रहे हैं वह उनके पास लिखित रूप में आया है, उसी आधार पर सूचना दे रहे हैं या कोई जानकारी करके ?

(घन्टी)

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या यह सही है कि जिन किसानों से एडवान्स लिया गया है वहां उनको न तो कम्प्रेशर ही दिया गया है और न ही उनका एडवान्स मनी लौटाया गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यदि कम्प्रेशर की व्यवस्था नहीं हुई होगी तो वापिस कर दिया होगा ।

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले के किसानों का जो रुपया एडवान्स जमा हैं उनको न तो कम्प्रेशर दिया गया है और न रुपया ही वापिस दिया गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जितने कम्प्रेशर्स थे सब जगह दे दिये गये हैं और जिनको कम्प्रेशर मिलने की सम्भावना है उनका रुपया वापिस नहीं किया होगा, बाकी कर दिया गया होगा ।

श्री रामदयाल उपाध्याय—भीलवाड़ा जिले में अलग कम्प्रेशर होते हुए भी डिपार्टमेन्ट में किसानों का जो रुपया एडवान्स जमा है उनको कम्प्रेशर न देने की हालत में वापिस नहीं लौटाया है ?

श्री अध्यक्ष—भीलवाड़ा जिले की क्या बात है ? अलग प्रश्न पूछिये ।

श्री रामदयाल उपाध्याय—जनरल बातें चल रही हैं, इसलिए पूछा था । क्या जिन लोगों का एडवान्स जमा है और काम नहीं किया है वह भी आमदनी में बता दिया है माननीय मन्त्री जी ने ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं, बिल्कुल गलत ।

श्री चांदमल मेहता—कम्प्रेशर पर प्रति फुट कम खर्चा पड़े, इसके लिये क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार कम से कम खर्चा होने के बाद ही नियत करती है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि कम्प्रेशर में काम में लिया जाने वाला मेटिरियल सरकार की मार्फत ही खरीदा जाता है और वह उचित रेट पर खरीद नहीं करने के कारण किसानों को अधिक दाम देने पड़ते हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह केवल ख्याल ही बना हुआ है । सामान के लिए टेन्डर्स मांगे जाते हैं और उचित दाम देकर ही खरीद करते हैं ।

श्री चांदमल मेहता—अगर कोई अपनी तरफ से मेटिरियल खरीद करना चाहें तो क्या इस तरह की सुविधा प्रदान करने लिए तैयार हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह तो केवल बताया जाता है कि किसानों को उनके खरीद करने पर सामान सस्ता मिलता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। किसान थोड़ा सा सामान खरीद करते हैं इसलिए कहीं-कहीं उनको अधिक दाम देने पड़ते हैं और सरकार की ओर से इकट्ठा सामान खरीद किया जाता हैं, इस वजह से सस्ता पड़ता है। यदि फिर भी आप बतावेंगे कि फर्क पड़ता है तो सरकार अवश्य ही विचार करेगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि ट्रान्स्पोर्टेशन चार्जेज़ अधिक होते हैं इस वजह से भी मंहगा पड़ता है?

श्री भोगीलाल पंड्या—ऐसा नहीं होता।

श्री चांदमल मेहता—ट्रान्स्पोर्टेशन चार्जेज़ एक ग्राम का कितना पड़ता है?

श्री भोगीलाल पंड्या—मेरे ख्याल से लम्बी लिस्ट सुनानी ही पड़ेगी। इसमें ट्रान्स्पोर्टेशन का दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष—टेबिल पर रख दीजिये।

(सूची प्राप्त नहीं हुई)

श्री रामदयाल उपाध्याय—माननीय मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि एडवान्स मनी जो लिया गया वह सरकार की किस मद में जमा है?

श्री भोगीलाल पंड्या—आप कृपा करके इस बारे में अलग से प्रश्न पूछिये तो मैं जानकारी प्राप्त करके जवाब दे सकता हूं। वैसे तो वह डिपोज़िट में जमा होगा।

श्री कंवरलाल जेलिया—कम्प्रेशर्स सम्बन्धी जो किसानों में गलतफहमी है उसको दूर करने के लिये सरकार क्या सोच रही है?

श्री भोगीलाल पंड्या—कोई गलतफहमी नहीं, क्योंकि किसानों से इस बारे में बहुत मांगें आ रही हैं जिन्हें हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—इसमें ५,७११ रु० का जो मुनाफा हुआ उससे क्या सरकार कम्प्रेशर्स को 'नो प्रोफिट, नो लोस' पर देने का इरादा करती है?

श्री भोगीलाल पंड्या—'नो प्रोफिट, नो लोस' पर ही तो चला रहे हैं। यह जो रुपया ज्यादा वसूल हुआ है वह उनको वापिस दे दिया जायगा।

श्री श्रीदास गोयल—जब किसी किसान के यहां कम्प्रेशर जाता है और उसके यहां काम करते-करते अगर वह खराब हो जाता है तो दुरुस्ती के लिये जो व्यय होता है तो क्या उस किसान से वह वसूल किया जाता है?

श्री भोगीलाल पंड्या—ऐसा नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३१५

राजस्थान से चले गये मुसलमानों पर राजस्थानियों का ऋण

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या पुनःसंस्थापन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान से चले गये मुसलमानों के जिम्मे राजस्थानियों का कितने रुपये का कर्जा है?

(ख) उसमें से गंगानगर जिले के नहरी क्षेत्र में मन्डियों और देहातों में बसने वालों का कितना कर्जा है?

(ग) सरकार उसकी वसूली का क्या प्रबन्ध कर रही है?

(घ) आज तक इतने लम्बे अर्से से वसूली का कोई प्रबन्ध न करने का क्या कारण है?

श्री अमृतलाल यादव (पुनःसंस्थापन मन्त्री)—

(क) ५२,८१,६३४ रु० का कर्जा है।

(ख) ६,४८,००० रु० का कर्जा है।

(ग और घ) वर्तमान आज्ञाओं के अनुसार एवं कानून के अन्तर्गत इस प्रकार के दावे दायर किये जाते हैं। दावे दायर होने से दावेदार को मूल्य प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। मूल्य चुकाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह काम केन्द्रीय सरकार का है, जिनकी ओर से अभी तक कोई ऐसी आज्ञा नहीं निकाली गई है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—जब कस्टोडियन डिपार्टमेन्ट की मार्फत रुपया वसूल किया जा रहा है तो मुसलमानों के जो लेना था वह तो उनको दिया जा रहा है, लेकिन मुसलमानों से जिनको वसूल करना था वह देने के लिये तैयार क्यों नहीं है?

श्री अमृतलाल यादव—कस्टोडियन डिपार्टमेन्ट गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया का डिपार्टमेन्ट है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—तो इस कर्जे के बारे में राजस्थान सरकार क्या कर रही है?

श्री अमृतलाल यादव—राजस्थान सरकार को कोई कार्यवाही नहीं करनी है।

श्री सन्तोषसिंह—क्या राजस्थान सरकार प्राइवेट आदमियों का भी कर्जा वसूल कर रही है?

श्री अमृतलाल यादव—यह जो कर्जा वसूल हो रहा है वह भारत सरकार का कस्टोडियन डिपार्टमेन्ट वसूल कर रहा है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—जब सरकार के सामने कर्जे की सूचना मौजूद है तो सरकार उसकी वसूली की क्या व्यवस्था कर रही है?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने निवेदन किया कि कस्टोडियन डिपार्टमेन्ट वसूली की व्यवस्था करता है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—जमीन जायदाद जो नीलाम होती है उनसे जो रुपया आता है क्या वह प्राइवेट आदमियों को दिया जाता है या नहीं?

श्री अमृतलाल यादव—उनकी व्यवस्था जुदा है। वे कस्टोडियन एक्ट मुताबिक कार्य करते हैं। उस एक्ट की तहत जैसा भी उचित समझते हैं वैसा कार्य किया जाता है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को मूव किया है क्या?

श्री अमृतलाल यादव—अभी मैंने निवेदन किया कि राजस्थान सरकार से इसका कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री सन्तोषसिंह—राजस्थानियों का जो कर्जा है उसकी वसूली के लिये भारत सरकार को लिखा है क्या?

श्री अध्यक्ष—सेन्ट्रल एक्ट के अन्दर सारे रूल्स हैं। उन रूल्स को आप पढ़ लीजियेगा। मिनिस्टर इसमें क्या बतला सकते हैं?

प्रश्न संख्या ३१६

जयपुर डिस्ट्रिक्ट में अनट्रेन्ड पुलिस अधिकारी की नियुक्ति

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर डिस्ट्रिक्ट में कितने अनट्रेन्ड पुलिस अधिकारी ऑफिशियेटिंग एस० एच० ओ० के स्थान पर काम करते हैं?

(२) उक्त व्यक्तियों की योग्यता व लेंग्थ आफ सर्विस कितनी है?

(३) उक्त व्यक्तियों की नियुक्तियां किस आधार पर की गई हैं?

श्री रामकिशोर व्यास—(गृह मन्त्री)

[redacted]

[श्री रामकिशोर व्यास]

(क) जयपुर डिस्ट्रिक्ट में कोई अनट्रेन्ड अधिकारी ऑफिशियेटिंग एस० एच० ओ० के स्थान पर काम नहीं कर रहा है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस प्रश्न के पहुंचने के बाद में कुछ व्यक्तियों को जो ऑफिशियेटिंग एस० एच ओ० थे उनको हटाया गया; जो अनट्रेन्ड थे ?

श्री रामकिशोर व्यास—मेरी जानकारी में नहीं है।

प्रश्न संख्या ३१७

गंगानगर जिले के नहरी क्षेत्र के ग्रामों में वृक्ष लगाना

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सिंचाई-मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(क) गंगानगर जिले के नहरी क्षेत्र के गांवों में वृक्ष लगाये जाने पर तावान क्यों लगाया जा रहा है ?

(ख) क्या सरकार आबादी में वृक्ष लगाने के लिये नहरी क्षेत्र में पानी की सुविधा देने के लिये तैयार है ?

(ग) यदि तैयार है तो कब तक ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) (ख) और (ग) नहर से जो पानी दिया जाता है वह सिर्फ कमांड या क्षेत्र के अन्दर सिंचाई के लिये काम में लाने के लिये है। खाले के दोनों ओर अगर काश्तकार चाहें तो पेड़ लगा सकते हैं। क्षेत्र के बाहर पेड़ लगाने के लिये पानी ले जाना कानून के विरुद्ध है।

आबादियों के जोहड़े पीने या और काम के लिये नहर से भर दिये जाते हैं और इनका पानी आबादी के अन्दर वृक्ष लगाने के काम में लाया जा सकता है।

नहरी खाले का पानी आबादी में यानी क्षेत्र के बाहर इस काम के लिये नहीं लिया जा सकता।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—किस एक्ट के अनुसार सप्लाई दे रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—केनाल एक्ट के अनुसार किया जाता है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—उस एक्ट के अनुसार जमीन से बाहर पेड़ नहीं लगाये जा सके तो फिर वह कौन सा पानी है जो वृक्षों के लिये दिया जाता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वृक्षों के लिये नहीं दिया जाता है, जोहड़ों में पानी दिया जाता है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—जोहड़ों में पानी एक्स्ट्रा सप्लाई किया जाता है क्या ?

श्री भोगीलाल पंड्या—पानी पीने के लिये दिया जाता है । अगर जोहड़ा खाली होता है तो उसको भर दिया जाता है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—एक्ट के अनुसार जमीन से बाहर पेड़ नहीं लगाये जा सकते तो फिर कौनसा पानी है जो जोहड़ों में वृक्षों के लिये दिया जाता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—पीने के लिये पानी दिया जाता है; पेड़, बगीचे लगाने के लिये अलग से नहीं ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—पानी पीने के लिये ही दिया जाता है, ऐसी किसी गांव की मिसाल देंगे ?

श्री भोगीलाल पंड्या-जहां कहीं पीने के पानी की मांग आती है वहां पानी दे दिया जाता है । गांवों के बारे में अलग से सवाल पूछेंगे तो नामों की जानकारी करके आपको जवाब दिया जा सकता है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—जब पानी पीने के लिये दिया जाता है तो वृक्षों के लिये कौन सा पानी सप्लाई होता है । कानून के अन्दर तो जमीन से बाहर वृक्ष नहीं लगाये जा सकते; तो फिर यदि वृक्ष लगाना चाहें तो कौनसा पानी यूज़ किया जाय ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जोहड़ों में जो पानी पीने के लिये दिया जाता है उसमें से यदि आप चाहें तो अपने घर के पास में पेड़ लगा सकते हैं ।

श्री गुदरुयालसिंह संधु—जोहड़ों में पानी ही नहीं दिया जाता ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अभी मैं बतला चुका हूं कि पानी पीने के लिये जोहड़ों में दिया जाता है ।

प्रश्न संख्या ३१८

राजस्थान के मुन्सिफ तथा मजिस्ट्रेट न्यायालयों के स्थान

श्री चांदमल मेहता—क्या विधि-मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में कितने स्थानों पर मुन्सिफ व मजिस्ट्रेट कोर्ट सम्मिलित है ?

[श्री चांदमल मेहता]

(२) उक्त स्थानों के नाम क्या क्या हैं ?

(३) उक्त स्थानों पर मुन्सिफ व मजिस्ट्रेट कोर्ट को सम्मिलित किस आधार पर किया गया है ?

(४) सन् ५५-५६ के वर्ष में इस तरह की कोर्ट्स कहां-कहां चालू करने की सरकार की योजना है ?

श्री रामकिशोर व्यास (विधि मन्त्री)—(१) इस समय राजस्थान में कुल १६ मुन्सिफ व मजिस्ट्रेटों के सम्मिलित न्यायालय स्थापित हैं ।

(२) स्थान जहां सम्मिलित कोर्ट स्थापित हैं, निम्न हैं:—

१ सादुलगढ़, २ मालपुरा, ३ सवाई माधोपुर, ४ गंगापुर, ५ हिन्डोन, ६ शाहपुरा, ७ सीरोंज, ८ भवानी मंडी, ६ अकलेरा, १० मावली ११ कानोड़, १२ सागवाड़ा, १३ छोटी सादड़ी, १४ किशनगढ़, १५ नाथद्वारा एवं १६ गंगापुर ।

(३) मूल करण तो यह था कि उक्त मुन्सिफियों में दीवानी काम कम था और इसलिये हाई कोर्ट की सिफारिश थी कि उनको तोड़ दिया जावे, लेकिन जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना उचित नहीं समझा गया । अलबत्ता काम पर्याप्त करने की दृष्टि से इन अदालतों को मजिस्ट्रेट के अधिकार भी दे दिये गये । इसके अतिरिक्त अधिकांश स्थानों पर मुन्सिफ तथा मजिस्ट्रेट की अदालतें पृथक्-पृथक् थीं । उनमें से एक को कम करके दोनों कार्य एक अदालत को सौंपे गये; जिससे व्यय भी कम हो सके । साथ ही ऐसा करना जुडिशियरी को एग्ज़ीक्युटिव से पृथक् करने का भी एक पहला कदम बन गया क्योंकि मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों की अदालतें शासन की दृष्टि से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मातहत नहीं हैं, बल्कि हाई कोर्ट की देख-रेख में हैं ।

(४) सम्मिलित न्यायालय किसी योजना के अनुसार नहीं कायम किये गये हैं किन्तु दीवानी काम पर्याप्त नहीं होने के कारण से चन्द मुन्सिफों को मजिस्ट्रेटी अधिकार देना उचित समझा गया है । मौजूदा हालत में निम्बाहेड़ा, बांसवाड़ा, डीग व बयाना में सम्मिलित मुन्सिफ मजिस्ट्रेटी कोर्ट्स कायम करने का निश्चय हो चुका है ।

श्री चांदमल मेहता—लिस्ट में जो किशनगढ़ का नाम बताया गया है; वह किशनगढ़ कौनसा है ?

श्री रामकिशोर व्यास—किशनगढ़ नहीं, कुशलगढ़ है ।

श्री चांदमल मेहता—यह जो कारण बताया गया कि काम कम था इसलिये इनको तोड़ दिया गया, तो यदि काम कम था तो उस तरह की व्यवस्था करनी चाहिये थी । मुन्सिफ कोर्ट्स तोड़ने के क्या कारण हैं ?

Page No.12

श्री रामकिशोर व्यास--आपसे मैंने निवेदन किया कि कुछ कोर्ट्स को तोड़ने के लिये हाई-कोर्ट का आदेश था। वहां की परिस्थितियां देखकर यह मुनासिब नहीं समझा गया कि इनको तोड़ा जाय। तो यह किया गया कि एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेटी तो तोड़ दी गई और क्रिमिनल पॉवर्स मुन्सिफियों को दे दिये गये। इस तरह से १६ कोर्ट्स कायम हुए। इस तरह एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट के जो पॉवर्स थे वे मुन्सिफ को दे दिये गये और एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेटी कोर्ट्स एबोलिश कर दिये गये, जिससे काम भी बढ़ गया और अदालतें भी कायम रह गईं।

श्री चांदमल मेहता--इस तरह की व्यवस्था किशनगढ़ में नहीं करने का क्या कारण है?

श्री रामकिशोर व्यास--वहां सिविल जज मौजूद है।

श्री चांदमल मेहता--क्या यह सही है कि जहां सिविल जजी मौजूद है, वहां भी मुन्सिफी और मजिस्ट्रेटी दोनों कोर्ट्स साथ-साथ काम कर रहे हैं?

श्री रामकिशोर व्यास--मजिस्ट्रेट को ज्यादा काम होगा वहां ऐसा किया गया होगा।

श्री चांदमल मेहता--क्या यह सही है कि यहां किशनगढ़ में मजिस्ट्रेटी का काम कम है और सिविल जजी के पास काम पर्याप्त है; फिर भी दोनों एक नहीं की गई?

श्री रामकिशोर व्यास--यह तो आंकड़े देख कर उसी लिहाज से किया गया है?

श्री चांदमल मेहता--क्या यह सही है कि मुन्सिफी और मजिस्ट्रेटी कोर्ट्स को अलग-अलग रहने देना जुडिशियरी और एग्ज़ीक्युटिव दृष्टि से भी अत्यन्त आवश्यक है?

श्री रामकिशोर व्यास--हां, ठीक है।

श्री चांदमल मेहता--फिर ठीक मान कर भी सरकार इसके लिये आगे क्या कदम उठाने जा रही है?

श्री रामकिशोर व्यास--यह कदम उठा रही है कि १६ को तो सेपरेट किया। आहिस्ता-आहिस्ता सब को ऐसा ही कर दिया जावेगा। काम आहिस्ता-आहिस्ता ही होगा।

श्री चांदमल मेहता--इस चालू वर्ष में कितने तब्दील करने का सरकार का विचार है?

श्री रामकिशोर व्यास-- यह तो केश वर्क पर डिपेन्ड करता है।

श्री चांदमल मेहता--क्या ये स्थान जिन पर मुन्सिफी तोड़ी जा चुकी हैं उन स्थानों को प्राथमिकता देने पर सरकार विचार करेगी?

श्री रामकिशोर व्यास--मुन्सिफी और एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेटी के भी जहां कोर्ट थे वहां के लिये जरूर विचार किया जावेगा।

Page No.13

श्री चांदमल मेहता—इसी तरह का किशनगढ़ है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री दिलीपसिंह—रामगंज मण्डी में वर्षों से मुंसिफी का कोर्ट चला आता था और अब गत तीन साल से उसे एबोलिश कर दिया गया है। वहां की जनता ने इसके लिए कई रिप्रेजेन्टेशन किये हैं, तो क्या सरकार वहां दुबारा कोर्ट स्थापित करने पर विचार करेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास—हाई कोर्ट की सिफारिश पर ही यह बन्द किया गया था, हमने नहीं किया।

श्री सोहनलाल भटनागर—सलूम्बर में जहां एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट्स मौजूद हैं वहां काम भी कम है तो क्या एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेटी के बजाय वहां मुंसिफी कोर्ट बनाने के बारे में सरकार सोच रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसके लिए अलग से आप केस लावेंगे तो विचार किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३१६

वर्तमान वर्ष में जिला जयपुर में सेशन्स कोर्ट को सुपुर्द किये गये मामले

श्री चांदमल मेहता—क्या विधि-मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) डिस्ट्रिक्ट जयपुर में सन् ५३-५४ के वर्ष में कुल कितने मामले सेशन्स के सुपुर्द किये गये ?

(ख) उक्त मामलों में कितने फैसल हो चुके हैं और कितने भिन्न-भिन्न अदालतों में चल रहे हैं ?

(ग) जो मामले फैसल हुए हैं उनमें कितने प्रतिशत सफल रहे हैं यानी मुल्जिमों को सजा हुई है ?

(घ) अधिकत्तर केसेज् के असफल होने के क्या कारण हैं ?

(ङ) क्या किसी अधिकारी द्वारा असफलता के कारणों की जांच की गई है ?

श्री रामकिशोर व्यास (विधि मन्त्री)—(क) जयपुर जिले में सेशन्स न्यायालयों को समर्पित मुकद्दमे :

(क) सन् १६५३ में ४६ (ख) सन् १६५४ में ६२। योग १०८।

[श्री चांदमल मेहता]

इन १०८ मुकद्दमों में से १९५३ के ४ मुकदमे विचाराधिकार के प्रश्न पर टोंक जिले को स्थानान्तरित कर दिये गये और १९५४ का १ मुकद्दमा सम्पर्क (Commi tting) न्यायालय को वापिस भेज दिया गया।

(ख) सन् १९५३ और ५४ के निर्णीत एवं विचाराधीन मुकद्दमों का ब्यौरा इस प्रकार है:—

	१९५३			१९५४		
	दोष-प्रमाणित	अभियुक्त	विचाराधीन	दोष-प्रमाणित	अभियुक्त	विचाराधीन
अतिरिक्त सेशन्स न्यायालय, जयपुर	...	...	३	...	१	६
जला सेशन्स न्यायालय, जयपुर	५	१	२६	५	३	१७
सेशन्स न्यायाधीश, जयपुर शहर	...	...	...	१	...	१
अतिरिक्त सेशन्स न्यायाधीश, किशनगढ़	४	२	१	६	६	१२
योग	९	३	३०	१२	१०	३६

(ग) दोष-प्रमाणन का प्रतिशत ६१.८ है। २१ मुकद्दमों में दोष प्रमाणित हुआ है।

(घ) १. अधिकांश मुकद्दमे अभियोग साक्षियों के विरोधी हो जाने के कारण असफल हुए। २. वैधिक परीक्षण में विलम्ब हो जाने तथा लम्बा समय हो जाने के कारण साक्षी प्रायः बातों को भूल जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप मुकद्दमे असफल हो जाते हैं और अभियुक्त छूट जाते हैं।

(ङ) नवीनतम रेग्यूलेशन के अनुसार प्रत्येक मुकद्दमे में अभियुक्त प्रतिवेदन (acquittal reports) अलग अलग तैयार किये जाते हैं और विफलता के कारण प्रकट किये जाते हैं तथा आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

हाई कोर्ट द्वारा बनाये गये जनरल रूल्स क्रिमिनल सन् १९५२ के रूल ३२ के अनुसार हर एक सेशन्स जज को मुकद्दमे की समाप्ति पर फैसले की एक प्रतिलिपि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजनी

[श्री चांदमल मेहता]

पड़ती है। साथ ही उसको सेशन्स के मुकद्दमे के नतीजे का ब्योरा देते हुए फार्म एफ ७ के अनुकूल कितने अभियुक्तों को सजा दी गई और कितने बरी किये गये, का एक नक्शा भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि अधिकतर केसेज़ सरकारी प्रोसीक्यूटरों की शिथिलता के कारण फेल हो जाते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास—केवल यही कारण नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिन केसेज़ में पार्टियां अपनी ओर से वकील नहीं करती हैं वे केसेज आम तौर पर असफल रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—पार्टियां बहुत कम छोटे मुकद्दमों में ऐसा करती हैं। आम तौर पर बड़े मुकद्दमों में ही वे ऐसा करती हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिन केसेज़ में असफलता की बात अभी कही गई है उनमें अधिकतर पार्टियों ने वकील एन्गेज नहीं किया था ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह तो अलग सवाल है, पूछिये तो जवाब देंगे।

श्री चांदमल मेहता—ये प्रोसीक्युटिंग इन्सपेक्टर्स अधिक सफलता से काम करें, ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री रामकिशोर व्यास—बजट की बहस के दौरान में मैंने कहा था कि अब हम आगे से लॉ ग्रेजुएट्स से इनको रिप्लेस करते जा रहे हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि भिन्न-भिन्न कोर्टों में किसी में कम और किसी में अधिक काम है ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसके तो फिगर्स वहां से मंगाने पर पता लग सकेगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, प्रश्न संख्या ३२०।

प्रश्न संख्या ३२०

डूब बन्ध में आने वाली ग्राम-बस्तियों की व्यवस्था

श्री श्रीदास गोयल—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

[श्री श्रीदास गोयल]

(क) सरकार द्वारा नये बन्धे बनवाने के सम्बन्ध में जनता को कुए, मकानात जमीन इत्यादि जो डूब बन्ध में आ जाते हैं, उन का मुआवजा दिये जाने की क्या व्यवस्था है ?

(ख) क्या सरकार द्वारा आठून कलां, आठून खुर्द तथा अन्य ग्रामीण जनता को बन्ध सूरवाल (सवाई माधोपुर) में आ जाने वाली जायदाद तथा जमीनों का मुआवजा दिया जा चुका है ?

(ग) यदि नहीं, तो अब तक क्यों नहीं दिया गया ?

(घ) सरकार अब कब तक मुआवजा दे देगी ?

(ङ) जिन-जिन ग्रामों की बस्तियां डूब बन्ध में आ गई हैं उनके बसाने की क्या व्यवस्था की गई है ?

(च) क्या सरकार इस वर्ष बन्ध सूरवाल में पानी रोकने का विचार करती है ?

(छ) यदि हां, तो उन बस्तियों का क्या होगा जो डूब जावेंगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) नये बन्धों में जो जमीन, कुए, मकानात आ जाते हैं उनकी कीमत का अनुमान लगाया जाता है और वह मालिकों को दे दिया जाता है।

(ख) और (ग)–अभी नहीं दिया गया है, दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है और यह जमीन व जायदाद अभी डूबी नहीं है।

(घ) जल्दी ही दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

(ङ) इस बात का प्रयत्न किया जावेगा कि इन लोगों को और जगह जमीनें दे दी जावें और जैसे ही अनुमान मालिकों ने मन्जूर कर लिया, वह कीमत भी उनको दे दी जावेगी।

(च) जी हां।

(छ) पानी रोकने के पहले ही मुआवजा दे दिया जावेगा।

श्री श्रीदास गोयल—जब इसी वर्ष पानी रोकने के लिए सरकार कटिबद्ध है तो इतनी लम्बी-चौड़ी बस्ती के लिए क्या यह सम्भव होगा कि वे इतने कम समय में वहां से हट कर और जगह आबाद हो जावें ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अब तो रुपया देने की अन्तिम कार्यवाही हो चुकी है, जल्दी ही रुपया दे दिया जावेगा। इससे झोंपड़े वगैरह जैसा पहले बने हुए थे वैसे नये लोग और जगह बना लेंगे।

श्री श्रीदास गोयल--क्या सरकार को यह मालूम है कि करीब ३००-४०० घरों की बस्ती एक-एक गांव में है और ऐसे कई गांव हैं जो डूब में आ रहे हैं और कई आदमी अपने अच्छे घरों में रह रहे हैं। उनके लिए इतने कम समय में यह सम्भव नहीं होगा कि वे दूसरे मकान बना लें।

श्री भोगीलाल पंड्या--जिस किसान को जैसा मकान होगा उसे उसी के आधार पर मुआवजा दिया जावेगा और समय रहते यह सारी व्यवस्था सरकार कर लेगी।

श्री श्रीदास गोयल--अभी तक उनको न रुपया मिला है और न जमीन ही उनको मिल पाई है, तो ऐसी सूरत में क्या सरकार पानी को रोकने की बात पर विचार करेगी?

श्री भोगीलाल पंड्या--उनको अन्यत्र बसाने की व्यवस्था करने का सरकार जल्दी से जल्दी प्रयत्न करेगी। पर पानी रोकने से तो कई लोगों को नुकसान होगा, इसलिए ऐसा तो नहीं किया जा सकेगा।

श्री श्रीदास गोयल--गत वर्ष भी ऐसी ही स्थिति होने से माननीय मन्त्रीजी ने यह निर्णय लिया था कि कम से कम उन्हें बसने के लिए ७-८ महीने का समय मिलना चाहिये। इसके बाद पानी रोकना चाहिये।

श्री भोगीलाल पंड्या--उनको रुपया देने की तैयारी हो रही है इसलिए मेरा खयाल है कि अभी काफी समय है और इस समय में मकान बन सकेंगे।

श्री श्रीदास गोयल--उनको जमीन बता दी गई है?

श्री भोगीलाल पंड्या--मुझे पूरा पता नहीं है, लेकिन अगर नहीं बताई गई है तो बहुत जल्दी बता दी जावेगी।

श्री श्रीदास गोयल--अगर जमीन भी नहीं बताई गई और मुआवजा भी नहीं दिया जा सका जल्दी से तो क्या सरकार यह स्टेन्डिंग आर्डर जारी करेगी कि यदि यह जल्दी नहीं हो सकता तो पानी नहीं रोका जावे?

श्री भोगीलाल पंड्या--सरकार को इसका पूरा-पूरा ध्यान है; जैसी समय-समय पर आवश्यकता होगी, वैसी व्यवस्था कर देगी। सरकार काफी सतर्क है इस मामले में।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३२१

श्री अध्यक्ष--श्री विश्वम्भरनाथ जोशी।

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित)

श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या ३२२

जुडिशियरी की दृष्टि से राजस्थान का पुनः जिला-निर्माण

श्री चांदमल मेहता—क्या विधि मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) जुडिशियरी की दृष्टि से क्या राजस्थान में जिलों का पुनः निर्माण किये जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना कब तक कार्यान्वित हो जायगी ?

(विराम)

श्री अध्यक्ष—श्री गृहमंत्री।

श्री रामकिशोर व्यास (विधि मंत्री)—(क) जुडिशियरी की दृष्टि से ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार अभी मौजूदा जो जुडिशियरी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हें ठीक समझती है ?

श्री अध्यक्ष—डिस्ट्रिक्ट जज से मतलब है।

श्री रामकिशोर व्यास—क्या फरमाया ?

श्री चांदमल मेहता—मौजूदा डिस्ट्रिक्ट्स जो जुडिशियरी की दृष्टि से हैं क्या सरकार उनको ठीक समझती है।

श्री रामकिशोर व्यास—जुडिशियरी और एग्जीक्युटिव दोनों की दृष्टि से जो डिस्ट्रिक्ट्स बन जाते हैं वे काम में लाये जाते हैं। जुडिशियरी की दृष्टि से अलग निर्माण करें या एग्जीक्युटिव की दृष्टि से अलग निर्माण करें, ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार को मालूम है कि जुडिशियरी की दृष्टि से डिस्ट्रिक्ट भिन्न प्रकार के हैं और एग्जीक्युटिव के भिन्न प्रकार के हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—No.

श्री श्रीदास गोयल—क्या सवाई माधोपुर जुडिशियरी की दृष्टि से भरतपुर जिले से संबंधित है ?

Page No.19

श्री रामकिशोर व्यास—हां, एक्सेप्शन्स हो सकते हैं।

प्रश्न संख्या ३२१

श्री अध्यक्ष—श्री नारायण चतुर्वेदी।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

श्री रामकिशोर व्यास—मैं जवाब पढ दूं।

जयपुर जिले के राष्ट्रीय विस्तार सेवा-खंडों में व्यय

प्रश्न—क्या सामुदायिक विकास योजना मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) जयपुर जिले में इस समय कितने राष्ट्रीय विस्तार सेवा-खंड चल रहे हैं?

(ख) इस जिले में इन विस्तार सेवा खंडों पर व्यय होने के लिए कितनी रकम मार्च १९५५ तक स्वीकार हुई थी?

(ग) अब तक उक्त धनराशि में से कितनी रकम व्यय हो चुकी है?

(घ) अब तक जो व्यय नहीं हुई है उसका क्या कारण है?

श्री रामकिशोर व्यास—(क) जयपुर जिले में निम्न तीन राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड हैं—

(१) बस्सी (२) जोबनेर (३) कनकपुरा।

(ख) इन क्षेत्रों के लिये निम्न रकम मार्च सन् १९५५ तक स्वीकृत की गई थी।

बस्सी	२,३२,६०० रुपये।
जोबनेर	२,१२,१०० "
कनकपुरा	८१,००० "

(ग) ३१ जनवरी तक निम्न रकम खर्च की गई है:-

बस्सी	१,१९,२०० रुपये।
जोबनेर	१,३३,१०० "
कनकपुरा	१,६०० "

[रामकिशोर व्यास]

(घ) प्रथम दो खण्डों में प्रारम्भ में टेक्निकल स्टाफ की कमी से निर्माण के कार्यों में निश्चित रकम खर्च नहीं हो सकी। अब प्रारम्भिक कठिनाइयां दूर हो गई हैं और खर्च की प्रगति सन्तोषजनक है। कनकपुरा का कार्य २ अक्टूबर, १९५४, से शुरू हुआ है और इस पर अब तक केवल स्टाफ पर रकम खर्च हुई है। प्रथम कुछ माह तो सर्वे, स्टाफ की नियुक्ति आदि में लगाना आवश्यक है और इसी बीच में निर्माण के कार्यों पर कोई रकम खर्च करना संभव भी नहीं है।

प्रश्न संख्या ३२५।

गत तीन वर्षों में भारत सरकार की नस्ल सुधार योजना के अन्तर्गत राजस्थान को मिलने वाले सांड

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) गत तीन वर्षों में भारत सरकार की नस्ल सुधार योजना के अन्तर्गत राजस्थान को कितने सांड मिले?

(ख) यदि नहीं मिले तो क्या राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से कोई मांग की थी?

(ग) यदि मांग की थी तो वह क्या है?

(घ) यदि नहीं की थी तो क्यों नहीं?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) एक भी नहीं।

(ख) इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार ने भारत सरकार से ऐसी कोई मांग नहीं की?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं नहीं कह चुका हूं। ऐसी कोई योजना ही नहीं है तो मांग किस प्रकार करते?

श्री अध्यक्ष—श्री मोहम्मद अब्दुल हादी।

प्रश्न संख्या ३२५

पुलिस थानेदार, रामसिंह, थाना सेडवा (जिला जालौर) द्वारा श्री पूनमचन्द का चालान इत्यादि—

श्री मोहम्मद अब्दुल हादी—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे: —

(१) क्या यह सही है कि एस. आई. पी. रामसिंह, पी. एस. सेडवा, जिला जालौर ने सेठ पूनमचन्द साकिन डोसनकातला को ४५ गज कपड़ा रखने के जुर्म में चालान किया और कोर्ट ने जुर्म न मान कर उसी दिन रिहा कर दिया ?

(२) क्या यह सही है कि कुछ दिन पहले एस. आई. पी. ने पूनमचन्द के भाई जसरूप के मकान की तलाशी ली और ४५ गज कपड़ा बरामद किया ?

(३) क्या यह सही है कि पूनमचन्द ने उच्च अधिकारियों को इसकी शिकायतें कीं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई ?

(४) क्या यह सही है कि ४५ गज कपड़ा रखना कोई जुर्म नहीं है ? अगर हां, तो यह नाजायज चालान क्यों ?

(५) क्या सरकार ऐसी नाजायज हरकतें करने वालों के खिलाफ कदम उठाने को तैयार है ?

श्री रामकिशोर व्यास—सेठ पूनमचन्द का ५०॥ गज कपड़ा अवैधानिक रूप से रखने के अपराध में चालान किया गया था। ता० २२-१२-५४ को एक अधूरा चालान तथा तफतीश जारी रखने के लिए जाब्ता फौजदारी की धारा ३४४ के आधीन रिमान्ड का प्रार्थनापत्र अदालत में पेश किया गया, किन्तु अदालत ने पुलिस को और समय देने से इन्कार किया तथा सेठ पूनमचन्द को रिहा किया।

(२) जी नहीं। तलाशी मकान की नहीं, दुकान की ली गई थी। श्री पूनमचन्द ने ऐसी शिकायत सुप्रिन्टेडन्डेट आफ पुलिस, जालौर से की थी। इस पर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी हो रही है।

(३) इसका उत्तर (२) में दे दिया गया है।

(४) ५०॥ गज कपड़ा रखना जुर्म है।

(५) अवश्य।

श्री मोहम्मद अब्दुल हादी— क्या यह सही है कि जो बोर्डर एरिया है वहां ४० रतल हर एक आदमी कपड़ा रख सकता है ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह तो आप अलग से पूछिये ।

श्री मोहम्मद अब्दुल हादी—सुनाई नहीं दिया ।

श्री रामकिशोर व्यास—अलग से सवाल किया जाय ।

श्री जवानसिंह—यह रेस्ट्रिक्शन कौन से कानून के तहत है ।

श्री रामकिशोर व्यास—एसेंशियल सप्लाइज़ ऑर्डर ।

प्रश्न संख्या ३२६

बन्ध मोरेल बन जाने के पश्चात् पेटा नदी मोरेल में किसानों द्वारा काश्त करना

श्री श्रीदास गोयल—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या बंध मोरेल (मलारना चौड़) बन जाने के बाद पेटा नदी मोरेल में किसान लोग कई वर्षों से काश्त करते चले आ रहे हैं ?

(ख) क्या इस वर्ष जनवरी में उन किसानों को बिना सूचित किये बंध मोरेल का पानी नदी मोरेल में आबपाशी के अधिकारियों के द्वारा बहा दिया गया, जिससे हजारों बीघा खेती बर्बाद हो गई ?

(ग) क्या सरकार इन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी जो कि इस हजारों मन अनाज की बर्बादी के कारण हैं ?

(घ) सरकार खेती की बर्बादी से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए क्या कर रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मन्त्री)—(क) बन्ध मोरेल बनने से पहले नदी के पेटे में रेत होने के कारण काश्त नहीं होती थी। बन्ध बन जाने के बाद कहीं २ तली में खेती होती है ।

(ख) हां, जनवरी के माह में कुछ पानी जिसकी आवश्यकता नहीं थी नदी में छोड़ा गया । उस समय मालूम नहीं था कि नदी के पेटे में कहीं खेती हो रही है । अनुमान है कि ३० बीघा खेती को कुछ हानि हुई है ।

(ग) कोई अधिकारी दोषी नहीं है; क्योंकि पानी के छोड़ने की आवश्यकता थी । अनाज की हानि बहुत थोड़ी हुई है ।

(घ) जहां हानि हुई है वहां कायदे के अनुसार कार्यवाही की जायगी ।

श्री श्रीदास गोयल—वह कितनी हानि हुई है साहब !

श्री भोगीलाल पंड्या—लगभग ३० बीघा जमीन की।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार इस बात की जांच कराने को तैयार है कि वहां हानि हजारों बीघा जमीन की हुई है, और मौके के हालात को देखने के बाद यह निवेदन किया जा रहा है।

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार ने भी इसकी जानकारी प्राप्त की है और उसके अनुसार जो मालूम हुआ है वही सूचना दी गई है।

श्री श्रीदास गोयल—इसीलिये निवेदन है कि आपकी जानकारी का किसी प्रकार से कॉन्ट्रा-डिक्शन हो रहा हो तो क्या पुनः जांच कराई जायगी। वहां के संबंधित तहसीलदार और एम. एल. ए. मौजूद रहें आबपाशी के महकमे के साथ में।

श्री भोगीलाल पंड्या—अगरचे ऐसा हुआ होगा तो इसकी बराबर जानकारी प्राप्त की जायगी और जिसकी जमीन में नुकसान हुआ होगा तो सबको मुआवजा दिया जा सकता है; केवल ३० बीघा का ही नहीं, जिस किसी का भी हो।

श्री श्रीदास गोयल—जब पानी निकाला गया था तो खेती बन्ध से नजर आती थी। तो क्या कारण था कि नोटिस नहीं दिया गया और पानी को इस तरह बहाकर खेती को बर्बाद कर दिया गया।

श्री भोगीलाल पंड्या—क्या नोटिस दिया जाय ? पानी छोड़ने का होता है तो फैसला पहले दिया गया था और नोटिस आता बाद में। पानी निकालना था, और किसी का नुकसान हुआ है तो उसका मुआवजा मिल जायगा।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—मुआवजे का क्या आधार है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जो सरकारी नियम बने हुए हैं उसके अनुसार दिया जायगा।

श्री श्रीदास गोयल—जो मुआवजा दिया जायगा तो बन्ध मोरेल से जो पानी मिलता था तो १०-१२ मील तक नदी जो में खेत ही खेत हैं, तो क्या उन सबको दिया जायगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जो उचित समझा जायगा उसको दिया जायगा और मैं तो इतनी बात यह भी बता देना चाहता हूं कि किसानों को ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी बन्ध के अन्दर ज्यादा पानी होता है तो उसको नदी में निकालना पड़ता है। इसीलिए नदी के अन्दर खेती नहीं करना चाहिए। पहले करते नहीं थे, बन्ध बना उसके बाद ३ साल से करना शुरू किया।

श्री श्रीदास गोयल—जब तीन साल से खेती कर रहे हैं तो क्या कारण है कि इसी वर्ष पानी निकाला और पहले नहीं निकाला।

श्री भोगीलाल पंड्या—पानी ज्यादा होता है तो निकालते हैं और पानी कम होता है तो पानी निकालने की कोई भी जरूरत नहीं होती है।

श्री श्रीदास गोयल—पानी निकालने से जो फायदा सरकार को हुआ है उससे ज्यादा पानी नहीं निकालने से ज्यादा जमीन की सिंचाई से होता।

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार जो कुछ करती है वह सोचकर ही करती है। यदि बन्ध को कायम रखना है तो बन्ध के अन्दर जो ज्यादा पानी इकट्ठा होता है उसको निकाल देना पड़ता है, नहीं तो बन्ध टूटने का अन्देशा होता है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार सारी जमीन का मुआवजा देने को तैयार है।

श्री भोगीलाल पंड्या—सारी जमीनों के मुआवजे का सवाल नहीं है; नदी की जो तली है उसके अन्दर जो खेती करते हैं। चूंकि बन्ध बन गया है और पानी रुका तो बीच की जो जमीन होती है उसमें अनाज के भाव अच्छे होने के कारण लाभ की दृष्टि से कुछ किसानों ने अनाज बो दिया। पहले खेती नहीं होती थी।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—जिन लोगों की जमीनें हैं उन लोगों को मुआवजा देने को तैयार हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—लोगों की जमीनें कहां हैं। वह तो नदी की तली है। बन्ध बनने से लोगों ने खेती करना शुरू किया तो मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं आता है।

श्री श्रीदास गोयल—तीन वर्ष से वे काश्त कर रहे हैं और कुछ किसानों मे पर्चा चकबन्दी भी प्राप्त कर लिया है पेटे की जमीनों का।

श्री भोगीलाल पंड्या—मुझे पूरा पता नहीं, अगरचे किया होगा। नदी की तली में खेती करें तो कैसे सुरक्षित रह सकते हैं ?

श्री श्रीदास गोयल—सरकार द्वारा जब कि पर्चे चकबन्दी दे दिये गये हैं तो क्या वे सुरक्षित रखे जायंगे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—पेटा जो है वह नदी की तली रहेगा ही, फिर भी ऐसा समय आ सकता है कि जब कि मोरेल बन्ध में पानी ज्यादा होगा तो उसको निकालना पड़ेगा, इसलिए वह निकाला जा सकता है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार पानी नदी में न बहाकर वेस्ट वियर के द्वारा दूसरे मार्ग की ओर बहाने का विचार करेगी जिससे कि यह पानी काम आ सके ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जहां पानी जा सकता है वहीं निकाला जाता है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार को यह मालूम है कि यदि यह पानी नदी में न बहाया जाय तो कम से कम ५० हजार बीघा जमीन की सिंचाई इस से हो सकती है?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह आप का केवल ख्याल है। सरकार बराबर यह चाहती है ज्यादा से ज़्यादा जमीन पर लोग खेती करें।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार आज के विकास के युग में इस पानी को रोक कर उपयोग में लाने की व्यवस्था करेगी?

श्री भोगीलाल पंड्या—विकास का ध्यान रखा है, तभी तो १८-२० लाख रुपये इस पर खर्च किये हैं।

श्री श्रीदास गोयल—नदी का पाट लगभग १८ मील चौड़ा है। क्या सरकार इस पानी से लाखों बीघा जमीन को फायदा पहुंचाने की ओर ध्यान देगी?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार बराबर ध्यान देगी, लेकिन पानी जाने का जो रास्ता है उसको सरकार कैसे बंद करेगी। जब ज्यादा पानी आयेगा तब उसको निकालने का विचार करना पड़ेगा।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—इस बंध से बार बार पानी निकालने की जरूरत पड़ती है और सरकार यह महसूस करती है कि पानी बहुत ज्यादा आता है तो क्या इसकी हाइट को ऊंचा करके पानी को रोकने की व्यवस्था सरकार करेगी?

श्री भोगीलाल पंड्या—हिसाब से जितनी हाइट हो सकती थी उतनी ही हाइट इस वर्ष की है लेकिन किसान जब खाली जमीन समझते हैं तो उसमें खेती करके लाभ उठा लेते हैं; लेकिन जब पानी ज्यादा आ जाता है तब नहीं कर सकते।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—वापिस हाइट ऊंची लेकर बांध बनाया जाय तो पानी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या सरकार इस बात की व्यवस्था करेगी कि इस बांध को उसी हिसाब से ऊंचा उठाया जाय ताकि पूरा पानी समा जाय?

श्री भोगीलाल पंड्या—विशेषज्ञों ने सोचकर ही बांध बनाया है। ज्यादा पानी रोका जायगा तो खेती के लिए जमीन नहीं मिल सकेगी। जितनी जमीन सिंचाई के लिये है और उसके लिए जितने पानी की जरूरत है उतना ही पानी रोका गया है।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—सरकार के उत्तर से साफ जाहिर होता है कि इसमें पानी ज्यादा आता है और केचमेन्ट एरिया हिसाब से नहीं बनाया है, इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि इस बांध की हाइट ज्यादा ली जाय।

श्री अध्यक्ष—No arguments.

श्री श्रीदास गोयल—इस बांध का पानी बाहर निकालने के बारे में सरकार कुछ छोटे ऑफिसर्स से प्रभावित है। उनके १०० या ५०० बीघा जमीन जोतने के लिये यह कार्यवाही की जाती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मुझे ऐसा मालूम नहीं है। आपने सूचना दी है तो देखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री महादेव।

श्री श्रीदास गोयल—एक प्रश्न और है। जो नदी के पेटे में जमीन है, जैसा कि मैंने अर्ज किया १४-१५ मील है, क्या सरकार रेवेन्यू और आबपाशी के अधिकारियों को भेज कर विचार करेगी कि आया उसमें काश्त सम्भव है या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार विचार कर चुकी है और आगे आवश्यकता होगी तो और विचार किया जायगा।

श्री श्रीदास गोयल—क्या आबपाशी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के प्रतिनिधियों को मौके पर भेज कर उसकी एडवाइस लेने की कृपा करेगी और इसके लिये योजना बनायेगी।

श्री अध्यक्ष—साफ जवाब दे दिया गया है।

श्री भोगीलाल पंड्या—योजना बनी है तभी तो रुपये खर्च किये गये हैं। आप यदि कोई नई बात बतायेंगे तो उस पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न संख्या ३२७

श्री अध्यक्ष—श्री महादेवप्रसाद बंका।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ३२८

राजस्थान में कम्प्रेशर्स की संख्या तथा एक कम्प्रेशर झालावाड़ जिले के लिये भेजना

श्री भगवानसिंह तरंगी—क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

[श्री भगवानसिंह तरंगी]

(क) राजस्थान के कृषि-विभाग के पास कम्प्रेशर्स कितनी संख्या में हैं ? क्या यह संख्या अपर्याप्त है ?

(ख) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले में जो कम्प्रेशर भेजा गया वह काम पूरा होने के पहले ही तीन दिन में वापिस मंगवा लिया गया था ?

(ग) क्या यह सरकार की जानकारी में है कि कुओं की कम्प्रेशर द्वारा गहराई के लिये जो रुपया झालावाड़ की कई तहसीलों में जमा था वह भी वापस नहीं लौटाया गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग मन्त्री, कृषि मन्त्री की अनुपस्थिति में) —

(क) हां।

(ख) नहीं।

(ग) कुओं की गहराई के लिये जो रुपया इस विभाग में जमा हुआ वह कलेक्टर की मार्फत प्राप्त हुआ और काम पूरा करने के पश्चात् वह बचा हुआ रुपया वापिस कलेक्टर झालावाड़ के पास भेज दिया गया है।

श्री भगवानसिंह तरंगी —(ख) का जवाब आपने 'नहीं में' दिया। लेकिन वहां पर २ दिन काम में आया और तीसरे दिन रखा गया तो जवाब तलब किया गया कि क्या आपको इसकी जानकारी है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जितने दिन तक कम्प्रेशर रखने की आवश्यकता थी उतने दिन तक वहां पर बराबर रखा गया। जब वर्षा आ गई तो उसे वापिस बुला लिया।

श्री भगवानसिंह तरंगी—यह वर्षा से बहुत पहले आया था और सिर्फ २ दिन रखा गया। रुपये काफी संख्या में जमा थे इसके बावजूद भी कम्प्रेशर वापिस मंगा लिया गया।

श्री भोगीलाल पंड्या—कंप्रेशर, वर्षा का समय होता है तब वापिस मंगाया जाता है। वर्षा के बारे में भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती कि फलां दिन वर्षा होगी; लेकिन अमूमन यह मान लेते हैं कि १५ जून के आसपास वर्षा होनी शुरू हो जाती है।

श्री रामदयाल उपाध्याय—कितने रुपये जमा हुए थे और उनमें से कितने कलेक्टर के पास वापिस लौटाये गये ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जितने रुपये जमा हुए थे उतने कलेक्टर के पास वापिस भेजे गये।

श्री रामदयाल उपाध्याय—कितने रुपये गवर्नमेंन्ट ने खर्चे के वसूल किये ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आप अलग प्रश्न पूछिये; रुपये, आने, पाई सहित बताऊंगा।

श्री रामदयाल उपाध्याय—यह रिलेवेन्ट प्रश्न है।

श्री भोगीलाल पंड्या—यह रिलेवेन्ट प्रश्न नहीं है।

प्रश्न संख्या ३२६

चित्तौड़ जिले में काम करने वाले ओवरसियर

श्री सुगनचन्द जैन—क्या सिंचाई मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(क) चित्तौड़ जिले में कितने ओवरसियर इस समय काम कर रहे हैं ?

(ख) सन् १९५४-५५ में कितने तालाबों की सर्वे की गई और कितने तालाबों की सर्वे रिपोर्ट्स गवर्नमेंट के पास भेजी गई और उनमें से कितने तालाब इस साल बनाये गये ?

(ग) कितने तालाबों की मरम्मत की गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग मन्त्री, सिंचाई मन्त्री की अनुपस्थिति में)—

(क) तीन।

(ख) १. १४ तालाबों की सर्वे की गई।

२. ७ कामों की स्कीम गवर्नमेंट के विचाराधीन है।

३. एक काम वोरदा का शुरू करा दिया गया है बाकी जल्दी शुरू कर दिये जायेंगे।

(ग) १४ तालाबों की मरम्मत की गई, गंभीरी का तालाब नया बनाया गया।

प्रश्न संख्या ३३०

श्री अध्यक्ष—श्री हिम्मतसिंह, (विभाजन संख्या ६१)

(प्रश्न-कर्ता अनुपस्थित)

Page No.29

प्रश्न संख्या ३३१

कुछ चकों में खाता रेट की रकम की नहर आने से वसूली

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) निम्नलिखित चकों में से खाता रेट की कितनी रकम नहर आने से आज तक वसूल हुई और कितनी रकम अभी वसूल होनी बाकी है ?

१ पी. एस., २ पी. एस., ५ आर. बी., ६ आर, बी., ७ आर. बी., ४३ आर. बी., ४४ आर. बी., ४ जे. जे., १२ एम. एल; २६ एम. एल; २ के. के; १ इ. ई. ए., २ ई. इ. ए; ३ ई. इ. ए., ५ ई. इ. ए., १० ई. इ. ए; ११ ई. इ. ए., १२ ई. इ. ए., १३ ई. इ. ए., ८ एन. एन., ४७ जी. जी., २७ बी. बी., ३ बी. बी. ए., २ पी. पी., ५ पी. पी. बी., ।

(ख) उस वसूल की गई रकम में से इन ऊपर लिखे चकों में पुलियों के बनाने पर कितना रुपया खर्च किया गया है ?

(ग) यदि नहीं किया गया है तो इसका क्या कारण है ?

(घ) क्या सरकार इस वसूल की गई रकम को वापस करने के लिये तैयार है ?

(ङ) यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(उद्योग मन्त्री, सिंचाई मन्त्री की अनुपस्थिति में)

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) निम्नलिखित चकों में से खाता रेट की रकम जो अब तक वसूल हो चुकी है और जो होनी बाकी है, वह निम्न प्रकार है :—

नं०	नाम चक	रकम जो वसूल हो चुकी	रकम जो वसूल होनी है
१.	१ पी. एस.	२५६५ रु.	
२.	२ पी. एस.	२७४६ रु.	
३.	५ आर. बी.	३२५२ रु.	
४.	६ आर. बी.	१७४४ रु.	
५.	७ आर. बी.	१४५७ रु.	१६ रु.
६.	४३ आर. बी.	५२६ रु.	७६२ रु.

Page No.30

[श्री भोगीलाल पंड्या]

७. ४४ आर. बी.	४१०' रु.	१०५७ रु.
८. ४ जे. जे.	१५६४ रु.	
९. १२ एम. एल.	१३९३ रु.	
१०. २६ एम. एल.	१९३१ रु.	
११. २ के. के.	१८१३ रु.	
१२. १ ई. इ. ए.	१२६४ रु.	
१३. २ ई. इ. ए.	११२६ रु.	
१४. ३ ई. इ. ए.	१२७१ रु.	
१५. ५ ई. इ. ए.	१७७६ रु.	
१६. १० ई. इ. ए.	८९२ रु.	
१७. ११ ई. इ. ए.	१८०४ रु.	
१८. १२ ई. इ. ए.	१७१४ रु.	
१९. १३ ई. इ. ए.	२०२८ रु.	
२०. ८ ई. इ. ए.	२२४० रु.	
२१. ४७ जी. जी.	सूचना प्राप्त नहीं हो सकी	
२२. २७ बी. बी.	१६२८ रु.	
२३. १३ बी. बी.	२६२७ रु.	
२४. २ पी. पी.	२१९८ रु.	
२५. ६ पी. पी. बी.	२०४५ रु.	

(ख) इन ऊपर लिखे चकों में पुलिया बनाने में २८०० रु. खर्च हुए।

(ग) (घ) और (ङ) गंग नहर के सारे इलाके में १॥ बीघा खातों के लिये व पुलियों के लिये वसूल करने की तजवीज थी। इस रुपये से तमाम खाते खुदवा दिये गये और बहुत हद तक पुलिया

[श्री भोगीलाल पंड्या]

भी बनवा दी गई। रुपया समाप्त हो जाने के कारण कुछ पुलिया नहीं बन सकी। लड़ाई के दिनों में भाव चढ़ गये थे इसलिये पुलियाओं की कीमत भी बढ़ गई थी। रुपया वापस करने का सवाल नही उठता।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—इन चकों में कितनी पुलियां बनाई गईं?

श्री भोगीलाल पंड्या—आपने जो सवाल पूछा था उसके उत्तर में मैंने बताया कि २८०० रु. खर्च हुए।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—किसी एक चक में एक भी पुलिया बनाई गई या नहीं?

श्री भोगीलाल पंड्या—वैसे तो सारे रुपये खर्च हुए हैं किन्तु जो नाम चकों के आपने बताये उनमें २८०० रु. पुलियों पर खर्च हुए हैं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—मैं यह जानना चाहता हूं कि जो रकम पुलियों के लिये वसूल की गई उससे एक भी पुलियां बनाई गई है या नहीं?

श्री भोगीलाल पंड्या—सारे के सारे रुपये खर्च किये गये हैं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—मैं एक भी पुलिये का नाम पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—He challenges the statement that any pulia was constructed.

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—जो रकम वसूल की गई उसमें से कितने रुपये खर्च किये गये?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने आपको बताया कि २८०० रु. खर्च किये गये। अलग-अलग नाम पूछते हैं तो अलग प्रश्न आने पर नाम भी बता दूंगा।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—जो रकम सस्ते भावों के समय वसूल की गई, क्या एक चक भी ऐसा बताया जायगा जिसमें एक भी पुलिया बनाई गई। यदि एक भी बता दें तो मैं समझूंगा कि सरकार ने कुछ काम किया?

श्री भोगीलाल पंड्या—जो रुपया कलेक्टर्स आदि के लिये वसूल किया गया था उसमें से सारा का सारा रुपया खर्च किया गया।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—मैं यह जानना चाहता हूं कि पुलियों के लिये जो रकम वसूल की गई थी उसमें से एक भी पुलिया बनाया है तो उसका नाम बतावें और नहीं तो क्या सरकार इसकी जांच करेगी?

श्री भोगीलाल पंड्या—आप अलग प्रश्न पूछिये, आपको सारी जानकारी दूँगा।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि वहां एक भी पुल नहीं बनाया गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं तीन बार इसका उत्तर दे चुका हूं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—जो बनाये गये उनके नाम बतायेंगे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इस समय मेरे पास नामों की सूचना नहीं है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—यह सूचना कब तक मिल जायगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आप प्रश्न पूछेंगे तब तक।

प्रश्न संख्या २३२

गंगानगर जिले में राइफल क्लब के सदस्य

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या गृह-मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) गंगानगर जिले में जो राइफल क्लब खोला गया था उसके सदस्य कौन-कौन हैं ?

(ख) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उस के सदस्यों में से कौन-कौन राइफल चलाने के विषय में योग्यता क्या-क्या रखते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—(क) इस क्लब के निम्नलिखित मेम्बर थे :—

१. श्री तुलसीराम

२. श्री रणजीतसिंह

३. श्री आत्माराम

४. श्री रामचन्द्र आर्य

५. श्री बनारसी लाल

६. श्री सुन्दरदास

७. श्री ईश्वरसिंह

८. श्री गन्धर्वसेन

[श्री रामकिशोर व्यास]

६. श्री हंसराज आर्य

(ख) जी हां।

(ग) इस क्लब को काम करने की आज्ञा नहीं मिली, केवल एक कमेटी ही बन कर रह गई। यदि यह क्लब चला होता तो इसके मेम्बरों की योग्यता आदि का पता चलता।

श्री गुरुदयालसिंह संन्धु—मैं जानना चाहता हूं कि इसमें कितने आदमी ऐसे हैं जो ट्रेन्ड हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—जब क्लब ही नहीं बना तो ऐसा प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

श्री जवानसिंह—यह क्लब हिंसात्मक है या अहिंसात्मक ?

श्री रामकिशोर व्यास—दोनों ही तरह का हो सकता था।

श्री अध्यक्ष—बन जाता तो पता चलता।

श्री जवानसिंह—हिंसात्मक क्या-क्या कार्यवाही करता है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या ३३३

सिरोही से जोधपुर-मार्ग पर बस चलाने के परमिट के लिए सिरोही मोटर-सर्विस का प्रार्थना-पत्र

श्री जवानसिंह—क्या यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(अ) क्या सिरोही से जोधपुर रूट के लिये सिरोही मोटर-सर्विस ने आर० टी० ओ० जोधपुर से बस चलाने के लिए परमिट की दरख्वास्त की थी ?

(आ) अगर हां, तो उपरोक्त दरख्वास्त का क्या हुआ ?

(इ) क्या सरकार इस रूट की सर्विस को नेशनेलाइज़ करना चाहती है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग-मन्त्री, यातायात मन्त्री की अनुपस्थिति में)—
(अ) नहीं।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(आ) प्रश्न-नहीं उठता।

(इ) अभी कोई निश्चय नहीं हुआ है।

श्री जवनसिंह—यहा कब की सूचना है ५४-५५ या इससे पहले की; यह आपने कहा नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आपने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर है।

श्री जवानसिंह—मैंने इसमें साल नहीं लिखा है, इसलिये पूछता हूं कि जो सूचना आप दे रहे हैं; यह कौन से साल की है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं इस साल की सूचना दे रहा हूं।

श्री जवानसिंह—क्या सरकार वापिस जांच करेगी कि आर० टी० ओ० जोधपुर को यह दर्ख्वास्त वाकई दी गई है जो कि रिजेक्ट की गई।

श्री भोगीलाल पंड्या—कलेक्टर सिरोही ने रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑफिसर को ११-५-५४ को सुझाव दिया था कि जोधपुर से सिरोही तक सीधी बस-सर्विस चलाने की इजाजत दी जाय। सिरोही मोटर बस-ट्रान्सपोर्ट कम्पनी को २ बसें चलाने की इजाजत के लिये लिखा था जिसको रीजनल ट्रान्सपोट ऑथोरिटी की मीटिंग में १४-५-१९५४ को रिजेक्ट कर दिया। दर्ख्वास्त प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में दी जानी चाहिये थी, लेकिन उस फॉर्म में नहीं दी गई।

श्री जवानसिंह—क्या भविष्य में यह कार्यवाही नियमपूर्वक की जायगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—क्या फरमाया आपने ?

श्री जवानसिंह—प्रश्न यह कि क्या सरकार भविष्य में ऐसी कार्यवाही नियम से करेगी या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आपका मतलब क्या है ? यदि दर्ख्वास्त नियमपूर्वक जायगी तो उस पर कार्यवाही की जायगी।

श्री जवानसिंह—इसके लिये दर्ख्वास्त देने वाली सरकार ही है क्योंकि सिरोही मोटर-कम्पनी सरकारी कन्सर्न है। यदि सरकार ही कार्यवाही करने में गलती करती है; जैसा कि आपने बताया कि गलती हुई, तो क्या भविष्य में ऐसी गलती नहीं की जायगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—कम्पनी वालों को चाहिये कि ठीक तरह से दर्ख्वास्त दें।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

वहां के कलेक्टर ने जैसा सुझाव भेजा था वैसा उसको लिखा गया था कि मोटर-वेहिकल्स रूल्स के अन्तर्गत दर्ख्वास्त भेजें तो कार्यवाही की जायगी। आर० टी० ओ० एक स्वतन्त्र व्यवस्था है। नियमा-नुसार सूचना दीजिये, नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री जवानसिंह—सरकार भविष्य में कब दर्ख्वास्त लेने वाली है?

श्री भोगीलाल पंड्या—आवश्यकता होने पर।

श्री जवानसिंह—क्या सरकार इस वक्त आवश्यकता समझती है?

श्री भोगीलाल पंड्या—सिरोही कलेक्टर को पूछा जायगा कि वे आवश्यकता समझते हैं या नहीं?

श्री जवानसिंह—आवश्यकता नहीं थी तो उन्होंने सुझाव क्यों दिया?

श्री भोगीलाल पंड्या—उस समय हो सकती थी, इस समय न हो। मैंने यह नहीं कहा कि आवश्यकता नहीं, कलेक्टर को पूछा जायगा कि आवश्यकता है या नहीं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३१४

कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट या नेशनल एक्स्टेन्शन सर्विस की योजना के अन्तर्गत बीकानेर जिले का क्षेत्र

श्री धर्मपाल पंवार—सामुदायिक विकास योजना-मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट या नेशनल एक्स्टेन्शन सर्विस की योजना के अन्तर्गत बीकानेर जिले में भी कोई क्षेत्र चुना गया है?

(ख) यदि हां, तो कौन-सा क्षेत्र चुना गया है और वहां अब तक क्या प्रगति हुई है?

श्री रामकिशोर व्यास—(क) नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

श्री धर्मपाल पंवार—क्या सरकार उचित नहीं समझती कि बीकानेर को भी इस डेवेलपमेन्ट योजना में लिया जाय?

श्री रामकिशोर व्यास —जहां ब्लॉक्स खोले जाते हैं उनके लिये नियम बने हुए हैं कि जहां कृषि के पानी की सुविधा होती है वहां खोले जाते हैं। बीकानेर में यह सुविधा नहीं है।

श्री धर्मपाल पंवार—क्या हनुमानगढ़ में खोलने का विचार है?

श्री रामकिशोर व्यास—अभी नहीं।

प्रश्न संख्या ३३५

पिछले पांच वर्षों में गंगानगर जिले के निवासियों द्वारा नहरों पर पुल बनाने के प्रार्थना-पत्र

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सिंचाई मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) पिछले पांच सालों में गंगानगर जिले के निवासियों ने नहरों पर पुल बनाने के लिये कितने प्रार्थना-पत्र दिये हैं?

(ख) उनमें से कितनी जगहों पर नये पुल बनाये गये हैं?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) ऐसे प्रार्थना-पत्रों की संख्या का कोई अलग हिसाब नहीं रखा जाता।

(ख) १३ स्थानों पर पुल बनाये गये।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—कितने स्थानों पर?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने बताया है कि १३ स्थानों पर।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या बतला सकेंगे कि वे स्थान कौन-कौन से हैं?

श्री भोगीलाल पंड्या—अलग से पूछेंगे तो स्थानों के नाम मालूम करके बताऊंगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३३६

वन-महोत्सव व वृक्षारोपण आन्दोलन के अन्तर्गत नये लगाये गये पेड़ व उपवन

श्री हरिशंकर सिद्धान्त-शास्त्री—क्या वन मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) वन-महोत्सव या वृक्षारोपण आन्दोलन चलाये जाने के अनन्तर राजस्थान में अब तक कितने वन और उपवन कहां-कहां नये खड़े कर दिये गये हैं?

[श्री हरिशंकर सिद्धान्त-शास्त्री]

(ख) क्या इसी तरह का एक वन या उपवन जयपुर शहर के पास नाहरी का नाका नामक स्थान पर भी लगाया गया था ?

(ग) यदि हां, तो इस वन या उपवन में अब कितने पेड़ सुरक्षित हैं तथा कितने नष्ट हो गये हैं ?

(घ) इस पर सरकार का कितना खर्चा हुआ है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(क) वन-महोत्सव के सम्बंध में पिछले ४ साल में राजस्थान नें भिन्न भिन्न स्थानों पर कुल लगाये हुए वृक्षों की संख्या २,५०,००० हैं।

(ख) जी हां।

(ग) करीब १०० पेड़ सुरक्षित हैं, ४०० नष्ट हो गये हैं।

(घ) अलग से कोई खर्चा नहीं हुआ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त-शास्त्री—खर्चा तो हुआ ही है न, वह खर्चा कितना हुआ है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अलग से इसका कोई लेखा नहीं रखा जाता।

एक माननीय सदस्य—क्या सी स्कीम में भी उपवन लगाया गया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उपवन तो नहीं लगाया है, सड़कों के किनारे-किनारे म्युनिसिपेलिटी ने पेड़ लगाये हैं।

श्री खेतसिंह—क्या इस वर्ष भी हमारे वन मन्त्री उड़नखटोले से कोई वन-महोत्सव करेंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह तो सोचा जायगा।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त-शास्त्री—ये ४०० पेड़ नष्ट कैसे हो गये ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इसके कारणों को मालूम किया जायगा।

श्री कस्तूरचन्द—क्या बूंदी जिले में भी हवाई जहाज से बीज बरसायेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय सदस्य ने देखा नहीं है बूंदी जिले को, इस लिये ऐसा कहते हैं; उनको वहां की हालत मालूम नहीं है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त-शास्त्री—क्या यह सही है कि राजस्थान में जितने वृक्ष लगाये जाते हैं उनसे ज्यादा काटे जाते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जरूरत हो तो काटे जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—२१ मार्च के क्वेश्चन्स।

ता० २१ का प्रश्न संख्या १३८, श्री गुरुदयालसिंह

प्रश्न संख्या १३८

सरकार द्वारा शरणार्थियों के लिए राजकीय सेवायें सुरक्षित रखना

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या राजस्थान सरकार शरणार्थियों के लिये सेवायें सुरक्षित रखना के लिये तैयार हैं?

(ख) यदि तैयार है तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री अमृतलाल यादव—(क) जी नहीं।

(ख) आवश्यक प्रतीत नहीं होता क्योंकि विशेष ध्यान रखा जाता है।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—कौनसा विशेष ध्यान रखा जाता है?

श्री अमृतलाल यादव—जैसा विशेष ध्यान होता है।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या सरकार रिफ्युजीज़ को बसाने के लिये कोई खास रियायत इसमें देगी।

श्री अमृतलाल यादव—बसाने के लिये। सरकार वैसे भी उनको एब्सोर्ब करने की कोशिश करती है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न-समय समाप्त हुआ। नेक्स्ट, श्री दामोदरलाल व्यास।

राजस्थान भूदान-यज्ञ (संशोधन) विधेयक १६५५ (पुरःस्थापन)

श्री दामोदरलाल व्यास—अध्यक्ष महोदय मैं राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक १६५५ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

क्या हाउस की यह अनुमति है कि इसे पुरः स्थापित किया जाए?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री दामोदरलाल व्यास—अध्यक्ष, महोदय मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान वित्त (कृषि आय-कर) विधेयक, १९५५ (विचार-विमर्श के पश्चात् पारित)

श्री अमृतलाल यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त (कृषि आय-कर) विधेयक, १९५५ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, इससे पहले कि इस पर आगे विचार किया जावे माननीय मन्त्री इस बात को एक्सप्लेन करेंगे कि गत वर्ष और इस वर्ष के करों की रेट्स में कितना अन्तर है, ताकि सदन को आगे बहस करने में सुविधा हो ?

श्री वेदपाल त्यागी—और यह भी बतावें कि यह अन्तर है तो यह क्यों रखा गया है ?

श्री अमृतलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, गत वर्ष की दरों में और इस वर्ष की दरों में कोई अन्तर नहीं है, इसलिये इसका कोई प्रश्न सामने नहीं आता।

श्री अध्यक्ष—आप इसके ओब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स पर प्रकाश डालें।

श्री अमृतलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, राजस्थान कृषि आय-कर अधिनियम, १९५३ (राजस्थान अधिनियम सं० २३ सन् १९५३) की धारा ४ तथा ७६ के अधीन कृषि आय-कर तथा अधिक कर की दरों का वार्षिक वित्त अधिनियम द्वारा बतलाया जाना अपेक्षित है। यह विधेयक वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के सम्बन्ध में दरें बतलाता है। धन विधेयक होने के कारण इसे श्रीमन् राजप्रमुख की सिफारिश, जो इसके साथ संलग्न है, प्राप्त है।

श्री अध्यक्ष—इससे ज्यादा कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं।

श्री अमृतलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, बात यह है कि इसकी दरों के संबन्ध में निश्चित दरें नहीं रह सकतीं और उनको बदलना आवश्यक हो जाता है, वह हम बगैर इस विधेयक के बिना नहीं कर सकते। इसलिये इसकी आवश्यकता हुई है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि तारीख १ अप्रेल, १९५५ को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में लिये जाने वाले कृषि आय-कर की दरों के लिये व्यवस्था करने के विधेयक को विचारार्थ लिया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लेने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री अमृतलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करता हूं इसको पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि तारीख १ अप्रेल, १९५५ को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में लिये जाने वाले कृषि आय-कर की दरों के लिये व्यवस्था करने के विधेयक को पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(विराम)

नेक्स्ट, श्री भोगीलाल पंड्या।

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड विधेयक, १९५५ (विचार-विमर्श के पश्चात् पारित)

श्री भोगीलाल पंड्या—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड विधेयक, १९५५ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान में खादी तथा ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहित तथा संघटित करने के लिये एक बोर्ड के निगमन तथा स्थापना हेतु व्यवस्था करने के लिए विधेयक को विचारार्थ लिया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लेने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री अध्यक्ष—इस पर कुछ एमेन्डमेंट्स अभी आये हैं।

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग एवं व्यवसाय मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, अभी जो एमेन्डमेंट्स आए हैं ये नियम के विरुद्ध हैं इसलिये इन पर अब विचार नहीं किया जावे।

श्री तनसिंह—माननीय अध्यक्ष, माननीय मन्त्रीजी ने यह नहीं बताया कि कौन से रूल्स के अनुसार ये विचारार्थ नहीं लिये जा सकते, अगर यह बतला देते तो उत्तर देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नियम इस प्रकार हैं कि दो दिन पहले एमेन्डमेंट्स आने चाहिये, उसके बाद अगर संशोधन आते हैं तो नहीं लिये जावें या लिये जावें, यह माननीय अध्यक्ष के डिस्क्रिशन पर है। मैं इस डिस्क्रिशन को अपने फेवर में लाने के लिये कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं जो यह है कि अभी जब यह विधेयक हमारे सामने सदन में आया है उस समय से लेकर आज तक कार्य में इतने अधिक व्यस्त रहे हैं कि जिसके कारण किसी भी सदस्य को मौका नहीं मिला कि उसको अच्छी तरह से पढ़ सके। पहले तो बजट के कारण कट-मोशन्स आदि देने थे

[श्री तनसिंह]
इसलिये उसमें लगे रहे थे और समय नहीं मिला। बाद में राष्ट्रपति के आने के कारण इसमें व्यस्त रहे कि इसको पढ़ नहीं सके। इन कारणों से अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि आप अपना डिस्क्रिशन मेरे पक्ष में देंगे।

श्री अध्यक्ष—यह सक्युलेट कब किया गया?

श्री भोगीलाल पंड्या—२८ तारीख को सक्युलेट किया गया।

श्री खेतसिंह—माननीय अध्यक्ष, मेरे मित्र बाडमेर से आने वाले सदस्य ने कहा कि समय की कमी के कारण दो दिन पहले एमेन्डमेंट नहीं दे सके। रूल्स में यह है कि दो दिन पहले देना चाहिये। अब इन्होंने एट दी इलेवन्थ ऑवर पर यह एमेन्डमेंट्स दिये हैं। हमें मालूम नहीं कि उन्होंने क्या एमेन्डमेंट्स दिये हैं क्योंकि हमारे पास सक्युलेट नहीं हुए हैं और इससे हम अपनी राय उस पर प्रकट नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में ये नहीं लिये जावें।

श्री तनसिंह—अगर कोई यह नहीं चाहता कि ये नहीं लिये जावें तो यह बात अलग है, लेकिन मैं यह कहूंगा कि इससे अधिक आवश्यक विधेयक हमारे सदन के सामने आए और काश्तकारी जैसा इम्पोर्टेन्ट बिल आया उसमें भी एट दी इलेवन्थ ऑवर एमेन्डमेंट लिये गये थे; फिर भी यहां तो यह साधारण सी बात है कि समय नहीं था। यह नहीं हो सकता कि दूसरे एमेन्डमेंट नहीं आयें; इससे यह मतलब लगाया जावे कि यह ऐसा कानून है उससे किसी को एतराज नहीं होगा। इसको पढ़ा नहीं है और माननीय अध्यक्ष, बहुत से लोगों ने इसको पढ़ा नहीं है इसलिए संशोधन नहीं भेज सके, पढ़ नहीं सके इसलिए कि समय नहीं मिला।

श्री भोपालसिंह—माननीय अध्यक्ष, मुझे यह निवेदन करना है कि तारीख २८ को यह अधिवेशन एडजॉर्न हो जायगा और यह बिल बाद में आयगा ऐसा था, इसलिए इसको नहीं पढ़ा।

श्री अध्यक्ष—इसको एक साथ पास किया जाय या क्लॉज बाई क्लॉज लें?
श्री भोगीलाल पंड्या—जैसी आपकी मर्जी।

श्री अध्यक्ष—क्लॉज बाई क्लॉज ले लें।

प्रश्न यह है कि विधेयक के खण्ड २, ३, ४, ५ और ६ स्वीकार किये जायं।

श्री जवानसिंह—खण्ड २ पर विचार करना है।

श्री अध्यक्ष—खण्ड ७ से है।

श्री जवानसिंह—संशोधन नहीं लिये हैं तो उन पर विचार करने का मौका दिया जा।

श्री अध्यक्ष—जिनके ऊपर एमेन्डमेन्ट्स हैं उन पर विचार कर लीजिये।

Page No.42

श्री जवानसिंह--खण्ड ४ पर विचार करने का मौका दिया जाय। १, २ एवं ३ तो पास कर दिये जायें।

श्री अध्यक्ष--१ तो बाद में लिया जायेगा। पहले २ और ३ ले लेते हैं।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक के खण्ड २ एवं ३ स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड २ एवं ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

खण्ड ४, श्री जवानसिंह।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के विचार-विमर्श के लिये प्रस्तुत होने के बाद जब यह विचार में लिया गया तो हम इस बात को मंजूर करते हैं कि जहां तक इसके सिद्धान्तों का सवाल है, प्रिन्सिपल्स का सवाल है वहां तक हमें एतराज नहीं होना चाहिए और इसमें खादी की तरक्की करने के लिए जो व्यवस्था है उसको ठीक तरह से सुधारने की बात है उसमें शायद एतराज नहीं हो सकता। लेकिन जहां तक इस बोर्ड के बनने का प्रश्न है, इसके सदस्य कौन कौन होंगे, इस बोर्ड के निर्माण के सम्बन्ध में दो रायें होना बहुत जरूरी है और जिस कदर सरकार निर्माण करना चाहती है इस बोर्ड को, वह वास्तव में एक विवादास्पद विषय हो सकता है और मैं इसको विवादास्पद विषय मानता हूं। इस बोर्ड के अन्दर जहां तक सरकारी सदस्यों का ताल्लुक था वह वास्तव में सरकार अपनी तरफ से मनोतीत स्वतन्त्र रूप से कर सकती है, लेकिन जहां तक गैर-सरकारी सदस्यों का ताल्लुक है वहां पर हमको इस वक्त राजस्थान में उपस्थित होने वाली दूसरी समस्याओं की तरफ देखते हुए, दूसरे जिस तरह से बोर्ड बने हैं और बनते जा रहे हैं उनकी ओर ख्याल करना है क्योंकि इस सदन में, इस अधिवेशन में बार बार ये बातें कही गई हैं कि जो बोर्ड स्थापित हुए हैं उनमें सरकार की ओर से तीन-चार व्यक्ति रखे गये हैं और दूसरी तरफ की ओर से सदस्य नही रखे गये हैं। उसी प्रकार से हमारे सामने कई प्रकार की शिकायतें आवेंगी कि विशेष आदमियों को, जो बोर्ड बनाये हैं उनमें रखा गया है, इसमें स्वतन्त्रता नहीं दी गई है, लिबर्टी नहीं बरती गई है और वास्तव में उचित काम करने वाले आदमी राजस्थान के सभी भागों से, सभी वर्ग के और सब तरफ से व्यक्ति इस बोर्ड में नहीं लिये गये हैं। चूंकि एक नमूना पेश हुआ और कुछ विशेष कारणों से विशेष लोग नियुक्त किये गये हैं इसलिए शंका होती है कि इस बोर्ड के निर्माण करने की व्यवस्था जो खण्ड ४ में रखी गई है उसका ठीक तरह से पालन नहीं होगा और उसके लिए बाद में शिकायतें होंगी, सरकार के सामने परेशानी आयगी और लोग एतराज करेंगे कि आपने विशेष वर्ग के विशेष सदस्यों को इस बोर्ड का सदस्य बनाया है और वास्तविक रूप से सब को मौका नहीं दिया। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को वास्तव में इस बात पर गौर करना जरूरी है। जो सदस्य बनने जा रहे हैं वे ऐसे होने चाहिए कि जो जिले में इलेक्टेड बोडीज़ के चेयरमेन हों और अगर उन्ही आदमियों को मनोतीत करते हैं तो कोई एतराज नहीं हो सकता; इलेक्टेड बोडी के चेयरमेन आवेंगे और बोर्ड के सदस्य होने के नाते काम करेंगे तो ऐसी कोई

[श्री जवानसिंह]

शिकायत नहीं होगी। दूसरे सदस्य मनोनीत करते हैं तो एतराज हो सकता है। १४ गैर-सरकारी सदस्य ऐसे रखे हैं जिनके सदस्य बनाने का डिस्क्रिशन आपने अपने पास रखा है। उन १४ आदमियों को कौन चुनेंगे, कौन कौन होंगे, यह अभिरुचि आपने अपने पास रखी है और उस पर काफी एतराज किया जा सकता है। इसलिए मैं आपसे माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि इस बात पर विचार करें, १४ आदमियों को बोर्ड के सदस्यों के रूप में मनोनीत करने का जो प्रोविजन रखा है उस पर विचार करें और ऐसे आदमियों को रखा जावे जिन पर एतराज न हो। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर फिर से विचार करेगी।

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग मंत्री)--अध्यक्ष महोदय, राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जो नियम बनाये गये हैं उनके अनुसार ही उसके सदस्यों का चुनाव होगा और वे रखे जावेंगे। इसमें जैसा आपने बताया, जिलेवार, डिविज़नवार या अमुक पार्टी के आदमी लिये जायं, ऐसा नहीं होगा। इसमें वे ही आदमी लिये जावेंगे जो वास्तव में खादी ग्रामोद्योग का काम करते हैं; जिनका इससे सीधा सम्बन्ध है उन्हीं को इस बोर्ड में लिया जायगा, दूसरों को नहीं लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खण्ड ४ विधेयक में अंग रूप से स्वीकार किया जाय !

(स्वीकृत)

खण्ड ४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

खण्ड ५ एवं ६

प्रश्न यह है कि खण्ड ५ एवं ६ स्वीकार किये जायं !

(स्वीकृत)

खण्ड ५ एवं ६ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

खण्ड ७

श्री तनसिंह--क्या मैं यह समझूं कि मुझे संशोधन प्रस्ताव रखने की अनुमति दी है ?

श्री अध्यक्ष--आप सुझाव दे दीजियेगा।

श्री तनसिंह--माननीय अध्यक्ष, मैंने इस खण्ड पर संशोधन दिये थे किन्तु उनको उपस्थित करने का मौका नहीं दिया गया क्योंकि उनको सदन की कार्य-सूची में भी नहीं लिया, इसलिये मैं उन संशोधनों का जो आशय है वही प्रकट कर देना चाहता हूं।

इस खण्ड ७ के अनुसार उन सदस्यों के पद की अवधि बताई गई है जो खण्ड ४ के अन्तर्गत नियुक्त किये जायेंगे। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस पूरे विधेयक को पढ़ने के बाद इसमें

[श्री तनसिंह]

किसी भी ऐसे क्लॉज का उल्लेख नहीं आया है जिससे राजस्थान सरकार उन सदस्यों को किसी भी प्रकार की डिस्क्वॉलिफिकेशन के लिये हटा सके, सिवाय इसके कि खण्ड ७ में समय निश्चित नहीं करती है कि उन सदस्यों की अवधि कितने अर्से तक रहेगी। राजस्थान सरकार इस विधेयक के अन्तर्गत चुने जाने वाले सदस्यों की अवधि कितने अर्से तक रहेगी यह निश्चित नहीं करती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सदस्य होंगे वे आदिकाल से लेकर अन्तकाल तक, जब तक कि बोर्ड चलता रहे, वे ही सदस्य रहेंगे। ऐसी धारा पर सरकार विधान सभा के हस्ताक्षर लेना चाहती है। हमें नहीं मालूम कि राजस्थान सरकार इस बोर्ड की अवधि एक साल रखना चाहती है, दस वर्ष रखना चाहती है या १०० वर्ष रखना चाहती है। अगर इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार कुछ प्रकाश डालती तो निश्चित रूप से हम इस क्लॉज़ का स्वागत करते। लेकिन इसकी अवधि निर्धारित करने के सम्बन्ध में कोई भी क्लॉज़ इस विधेयक में नहीं रखा है। इसका मतलब यह निकलता है कि राजस्थान सरकार यह चाहती है कि ऐसे विधेयक पर भी विधान सभा की मोहर लगा दे जिससे सरकार को यह अधिकार मिल सके कि वह चाहे जितनी अवधि बोर्ड की रख सके। इसके अलावा कुछ खण्ड ऐसे हैं जिनमें डिस्क्वॉलिफिकेशन्स आती हैं। खण्ड १२वें के अन्तर्गत कुछ डिस्क्वॉलिफिकेशन्स आती हैं। उसके अनुसार खण्ड १३वें के अन्तर्गत राजस्थान सरकार सदस्यों को पृथक कर सकती है। जो सदस्य पृथक होंगे वे सदस्य व्यक्तिगत रूप में पृथक होंगे। इस खण्ड के अनुसार राजस्थान सरकार ऐसे किसी व्यक्ति को, जो इस कार्य में बहुत रुचि लेता है उसको निर्वाचित नहीं करे। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार अनिश्चित अवधि न रखी जाकर निश्चित अवधि रखनी जानी चाहिये।

श्री वेदपाल त्यागी--माननीय अध्यक्ष, यह क्लॉज़ ऐसा है जिसमें राजस्थान सरकार अपने हाथ में इतने बड़े पॉवर लेना चाहती है जिसके द्वारा मन चाहे जब वह बोर्ड के सदस्यों को परिवर्तित कर सकती है, बोर्ड की अवधि घटा-बढ़ा भी सकती है। क्योंकि इस बिल में बोर्ड के लिए कोई मियाद मुकर्रर नहीं की गई है कि बोर्ड कितने साल तक कार्य करेगा, ऐसी कोई धारा नहीं है। मैं समझता हूं कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी जगह नियुक्त करने से पहले यह आवश्यक है कि उसको यह मालूम हो जाय कि वह कितने साल के लिये उस जगह पर नियुक्त किया गया है; कम से कम इस बात का जरूर उसको ख्याल होना चाहिये कि वह किसी की मर्सी (Mercy) पर तो काम नहीं कर रहा है। ये जो पॉवर हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं वे बहुत ज्यादा हैं क्योंकि इसमें कहीं भी नहीं है कि एक व्यक्ति कितने अवधि तक सदस्य रहेगा। इसलिए इस अवधि को विधान सभा द्वारा तय कर देना चाहिये कि बोर्ड कितनी अवधि के लिये बन रहा है। आज यदि किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचित करती है और अगर वह बाद में जाकर स्वतन्त्र तरीके से काम करता है और उसकी अवधि एक साल के लिए है तो गवर्नमेंट इस कानून के जरिये उसकी अवधि साल भर से घटा कर छः महीने कर सकती है। दूसरे व्यक्ति भी यदि सरकार के आदेश के अनुसार कार्य करते हैं तो सरकार यह भी कर सकती है कि उनकी अवधि जहां साल भर के लिए है एक विज्ञप्ति निकाल कर वह उसे दो साल कर सकती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इतनी वेग (Vague) धारा रखना ठीक नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिये कि वह इस बात को बतलाये कि जितने साल के लिए बोर्ड को कायम करना जरूरी है उतने ही समय के लिए बोर्ड को कायम किया जाय।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय अध्यक्ष, खण्ड ७ जो है उसमें यह तय किया गया है कि बोर्ड का जो मेम्बर होगा उसकी अवधि कितनी होगी। आज जब कि सरकार का ही पता नहीं है कि आज कौन सरकार में है और कल कौन रहेगा तो फिर इस बोर्ड के बारे में सरकार को इस प्रकार के अधिकार को हाथ में नहीं लेना चाहिये था। आज जिस प्रकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में सरकार अपने आदमियों को नोमीनेट करती है उसमें क्या होता है कि आज कौन व्यक्ति है तो कल कौन है और परसों कोई तीसरा ही व्यक्ति आ जाता है, इसी प्रकार की धान्धली सरकार को यह अधिकार देने से हो जायगी। आज यदि इस बोर्ड के लिए किसी सदस्य को ६ महीने के लिए नियुक्त करती है और वह सदस्य छः महीने में कार्य करता है और उससे सरकार यह देखती है कि यह हमारी नीति से विरुद्ध हो जाता है, हालांकि उसका काम ग्रामोद्योग और खादी के लिए अच्छा है, लेकिन सरकार की मर्जी के अनुसार नहीं है तो सरकार उसकी जगह दूसरा आदमी नियुक्त कर देगी। इस प्रकार १२ महीने बाद तीसरे आदमी को नियुक्त कर देगी। इस तरह से यह होगा कि बोर्ड नहीं चल पायेगा। इससे यह होगा कि सरकार बदनाम होगी और जनता को यह होगा कि एक सदस्य बोर्ड के अन्दर सरकार का कहना नहीं मानता है तो उन सदस्यों को हटा देंगे या खुद उनको हटना पड़ेगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह खण्ड ७ जो है उसमें तीन साल की अवधि बढ़ा दी जाय। बोर्ड के जो सदस्य होंगे वे तीन साल के लिये होंगे। इससे बोर्ड का कार्य सुचारु रूप से चल सकेगा, नहीं तो यह कि जिस मिनिस्टर के पास यह महकमा है वह अपने अपने आदमी भरेगा और इससे काम नहीं चल पायगा।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष क्लॉज ७ के अमेण्डमेन्ट का जहां तक प्रश्न है उसके बारे में मुझे कुछ निवेदन करना है। डेमोक्रेसी का यह तकाजा है कि हम किसी भी चीज को करते समय यह अवश्य ध्यान में रखें कि असेम्बली के अधिकार जो हैं वे सबसे अधिक शक्तिशाली हैं। इस सम्बन्ध में निर्णय करने के लिये सबसे बड़ी शक्ति मानी जाय। यही कारण है कि यह बिल असेम्बली के सामने आया है। इस बिल में कुछ ऐसी प्रोविज़न्स हैं; जैसे सदस्यों को सरकार द्वारा हटाया जाना और साथ ही बोर्ड को इस असेम्बली के आदेश के बगैर ही खत्म किया जाना है। इसी प्रकार जहां तक क्लॉज ७ में समय के निर्धारित करने का प्रश्न है इस बारे में जो भी हल सरकार ने सोच लिया हो, लेकिन मेरे ख्याल से यह उनका सफल हल नहीं है। आज असेम्बली नाना प्रकार की कमेटियों का निर्माण करती है जो डेमोक्रेटिक होती है, जिसमें सरकार सम्बन्धी बहुत सी बातों की जांच-पड़ताल होती है, उनका भी प्रतिवर्ष चुनाव होता है। माननीय मंत्री मुझे ऐसा एक भी एक्ट नहीं बता सकेंगे; पंचायत एक्ट, टिनेन्सी एक्ट, म्युनसिपेलिटीज़ के सिलसिले में हो, लोकल बोडीज़ के सिलसिले में हो; कोई भी कानून हो जिसमें किसी भी सदस्य को रखने के वास्ते किसी का समय अन लिमिटेड पीरियड के लिये रखा गया हो। कहीं पांच वर्ष; कहीं तीन वर्ष, इस प्रकार हरएक की मियाद मुकर्रर है। लेकिन जब इस बिल की क्लॉजेज़ को देखा जाता है तो यह मालूम होता है कि बोर्ड को इस बारे में बहुत शक्ति दी गई है। इसमें बोर्ड के पास बजट होगा, रुपये होंगे उनको खर्च करने के वास्ते बहुत से धन्धे होंगे, और वे इसी कारण ग्रामीण जनता में प्रवेश करेंगे और कार्य करेंगे। सरकार ने अपने पास यह शक्ति रखी है कि वह चाहे किसी को हटा सकती है। अगर कोई व्यक्ति जो ग्रामीण जनता में प्रवेश कर अच्छा कार्य करता हो. अगर उसके लिये दो, चार, पांच वर्ष निश्चित कर दिये

[श्री श्रीदास गोयल]

जाते हैं तो यह हर व्यक्ति के लिये स्वस्थ प्रोविजन हो जाता। इससे इस उद्योग को आगे बढ़ने में काफी सहायता मिलती। जब कि हम राजस्थान में इस बिल से पहले पहल यह कार्य सम्पादन कर रहे हैं तो हमें डेमोक्रेटिक उसूलों का ध्यान रखते हुए कार्य करना निहायत जरूरी है और समय का निर्धारण करना भी बहुत जरूरी है। इसमें यह भी दिया गया है कि बावजूद विधान सभा की आज्ञा के वे चाहे जब भंग भी कर सकते हैं और उसके साथ-साथ सरकार को हर सदस्य को हटाने का भी अधिकार है। इस प्रकार दो आल्टर्नेटिव अधिकार मिल जाते हैं। इसमें बोर्ड संबन्धी यह प्रोविजन हो जावे कि बोर्ड का कार्यकाल और समय इतने वर्ष रहेगा, तो बहुत स्वस्थ प्रोविजन रहेगा।

श्रीमती यशोदा देवी—इस क्लॉज़ बारे में मेरे भी कुछ विचार हैं जो मैं इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जब कि हमारी पार्लियामेन्ट और राजस्थान विधान सभा का भी समय निर्द्धारित है पांच वर्ष का, तो इस बोर्ड का भी तो समय निर्द्धारित होना ही चाहिये, ताकि इसमें ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं हो। अगर समय की अवधि नहीं हुई तो सदस्य यह समझेगा कि मैं तो हमेशा के लिए हूँ; चलो, जो जी में आवे करो। इसलिए मेरी राय में इसके लिए कम से कम तीन साल का समय रख देना चाहिये क्योंकि कुछ अवधि तो चाहिये ही काम को चलाने और करने में। इस समय के रख देने से कार्य में भी सफलता प्राप्त हो सकती है।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, यह क्लॉज़ जिस प्रकार का है सातवां उसको देखते हुए दो प्रकार के भ्रम पैदा होते हैं। पहला तो यह कि सरकार के सामने कोई साफ उद्देश्य इसका नहीं है, न इसका सम्पर्क है। अगर सरकार इस बोर्ड के सदस्यों को मनोनीत करना चाहती है तो वह कितने अर्से के लिए? इससे पहले सरकार को ध्यान देना चहिये था कि इसका अवधिकाल इतना रहेगा या हम इतने वर्ष के लिए इस बोर्ड को बनाना चहते हैं। क्लॉज़ को देखते हुए हमें इस बात का भी पता नहीं लगता कि आया इस बोर्ड के सदस्यों को १०-१५ वर्ष के लिए मुकर्रर किया जावेगा, इसके बाद में वापिस अवधिकाल मुकर्रर किया जावेगा या नहीं। केवल एक दफा ही किया जावेगा या समय निर्द्धारित किया जावेगा या वापिस तीन साल के बाद मनोनीत किया जावेगा। इस प्रकार की इस क्लॉज़ में कोई सूचना नहीं मिलती। इसलिए मैं तो इस प्रकार की शंका करता हूं कि सरकार के खुद के सामने यह स्पष्ट नहीं है कि इसको हमेशा के लिए रखना चाहती है या किसी अवधि के लिए रखना चाहती है।

तो ऐसी स्थिति में क्या मैं यह भी मान लूं कि भविष्य में ऐसा कभी भी समय नहीं आ सकता, जब कि हम दूसरे सदस्यों को और मनोनीत कर सकें और इसमें और प्रगति कर सकें।

बहुत सी दफा देखा गया है कि विशेष कारण किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं पड़ा। हमने कुछ ऐसी चीज रक्खी है कि जिसको हटाया जा सकता है और उनके रहने के कारण ही हटाया जा सकता है। पर ऐसे विशेष कारण खण्ड १३० में बताये गये हैं। अवधि मुकर्रर नहीं करने से ऐसा लगता है कि सारे अधिकार सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है जो कि आज की जनतन्त्र प्रणाली में उचित नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस पर पुनः विचार करे कि कोई न कोई अवधि मुकर्रर करे वह अवधि दो साल हो सकती है, तीन हो सकती है और अधिक भी हो सकती है।

रावत श्री शम्भूसिंह—यह खण्ड ७ ऐसा गोलमाल है जिसके अनुसार सरकार सदस्यों को मुकर्रर करने से पहिले भी अवधि मुकर्रर कर सकती है और मुकर्रर करने के बाद भी अवधि मुकर्रर कर सकती है। तो यदि सरकार ने सदस्य मुकर्रर कर दिये और अवधि नियत नहीं की तो जो सदस्य इस बोर्ड में नियत होंगे उनको कार्य के बारे में विश्वास नहीं होगा और उनको हमेशा यह आशंका रहेगी कि न मालूम किस समय हमें अपदस्थ कर दिया जावे और विश्वासपूर्वक कोई कार्य सुचारु रूप से सम्पादन नहीं कर सकेंगे और अगर सम्पादन नहीं कर भी सकेंगे तो इसका उद्देश्य ही भंग हो जावेगा।

इसमें यह व्यवस्था है कि मिसकन्डक्ट इत्यादि करने पर वह अपदस्थ किया जा सकता है। तो कोई ऐसी वजह मालूम नहीं होती कि आयन्दा अवधि क्यों न मुकर्रर कर दी जावे। इसे मुकर्रर नहीं करने में सरकार का क्या रुख छिपा हुआ है, यह हमें मालूम होना चाहिये? इसलिए डेमोक्रेसी के ख्याल से और सदस्यों को यह विश्वास होने के वास्ते कि हम कितनी अवधि तक निश्चिन्त होकर काम कर सकते हैं, कोई न कोई अवधि निश्चित रूप से मुकर्रर की जानी चाहिए, वर्ना सरकार के बारे में सदस्यों को यह आशंका होगी कि सरकार का छिपा हुआ इरादा क्या है इसके पीछे, कि जिसकी वजह से वह अवधि नियत नहीं करना चाहती और वह इरादा छिपाना चाहती है, प्रकट नहीं करती।

श्री भोगीलाल पंड्या—खण्ड ४ पर मैंने उत्तर दिया था उसको माननीय सदस्यों ने सुना होता तो इस प्रकार की चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की आवश्यकता और इसकी उपयोगिता पर विचार करते तो इस तरह का प्रश्न नहीं उठता। यह तो एक इस तरह को व्यवस्था है जिसमें कम से कम सरकारी मेम्बर रक्खे हैं। इसमें कम से कम १० नॉन ऑफिशियल होंगे जिन्हें स्टेच्युटरी पॉवर दिये जावेंगे। साथ ही यदि इसके खण्ड १२, १३ व १८ को पढ़ लेते तो भी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती।

इस तरह के रचनात्मक कार्यों में ऐसे लोगों को प्रायः लिया जाता है जो यथा-सम्भव अपना सारा समय रचनात्मक कार्यों में लगाते हैं; जैसे बताया गया था कि अमुक दल का, अमुक पार्टी का और सदन का आदमी लिया जावे इस बारे में मैंने स्पष्ट बताया था कि जो खादी ग्रामोद्योग के क्षेत्र में लम्बे समय से काम कर रहे हैं और इसमें तपे-तपाये आदमी होंगे उन्हें ही लिया जावेगा और ऐसे व्यक्तियों को साल, दो साल या तीन साल में बदल देना आवश्यक भी नहीं होगा और उचित भी नहीं होगा। ये लोग तो एक लम्बे अर्से से यह रचनात्मक कार्य करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे, ऐसे लोगों को रक्खा है इसलिये इसको बार-बार बदलने की आवश्यकता नहीं होगी।

श्री वेदपाल त्यागी—एक दफा बना दीजिये फिर बदलिये ही नहीं। फिर बदलने का पॉवर क्यों लेते हैं?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह जो कहा जाता है कि अवधि की मालूम नहीं, तो कैसे कोई मेम्बर बने। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अवधि के लिए तीन साल के लिए या पांच साल

Page No.48

[श्री भोगीलाल पंड्या]

के लिए जो महानुभाव इसमें आना चाहें वे कृपा करें, वे आने का प्रयत्न नहीं करें। इसमें तो ऐसे सदस्य लिये जावेंगे जो अधिक से अधिक समय ऐसे रचनात्मक कार्यों में लगावें और इस तरह देश में फैली बेकारी को मिटाने में हर तरह सहयोग दें।

इसलिए, मेरा ख्याल है, इसकी इस समय कोई आवश्यकता नहीं है। १२ व १३ क्लाजेज़ जो हैं, उनमें है कि जो काम अच्छा नहीं करेंगे उनको हटा दिया जायगा। सदन को अधिकार है कि यदि सारा बोर्ड अच्छा काम नहीं करेगा तो सारे बोर्ड को भंग कर सकता है, न कि किसी एक सदस्य को ही। इसमें, मेरा ख्याल है, अवधि की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें बहुत अच्छे लोगों का चुनाव करना है, इस काम को बढ़ाना है ताकि बेकारी दूर हो। वे तब तक काम करेंगे जब तक कि वे दूसरे धन्धे कर सकें।

श्री जवान सिंह—क्या ऐसे भी और कोई कानून हैं?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं यह भी बताऊं कि इस तरह की स्टेच्युटरी पॉवर वाला बोर्ड और जिसमें ज्यादा से ज्यादा नॉन ऑफिशियल हों ऐसा कोई कानून नहीं है। यह सरकार का पहला प्रयत्न है। इस तरह के रचनात्मक कार्य करने वाले लोगों के सामने जो कठिनाइयां आती हैं उनको दूर करने की व्यवस्था की गई है।

श्री चान्दमल मेहता—इस तरह का एक भूदान-यज्ञ बोर्ड है जिसके अन्दर गैर-सरकारी आदमी हैं।

श्री भोगीलाल पंड्या—आपने यदि यह देखा होता कि उनके पॉवर्स कैसे हैं, तो आपको यह प्रश्न उठाने की आवश्यकता नहीं होती। यह स्टेच्युटरी बोर्ड है, यह आपने देखा है।

श्री वेदपाल त्यागी—वह भी स्टेच्युटरी बोर्ड है। That is also a Statutory board.

श्री अध्यक्ष—The Members have the satisfaction of discussing.

प्रश्न यह है कि खण्ड ७ को विधेयक में अंग रूप से जोड़ा जाय।

(मत-दान पर 'ना' की आवाजें कुछ जोर से होने पर)

एक माननीय सदस्य—(विपक्षी दल से) Noes have it, Sir.

श्री वेदपाल त्यागी—आवाज 'नो' की भारी थी, साहब।

Page No.49

श्री अध्यक्ष—'हां' पक्ष जीता। फिर पूछूं ?

(विराम)

खण्ड ७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड ८ और ९

प्रश्न यह है कि खण्ड ८ और ९ विधेयक में अंग रूप से जोड़े जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड ८ और ९ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

खण्ड १०

श्री अध्यक्ष—Clause 10. It is very important.

श्री तनसिंह—More important than the previous one.

अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन को इसलिए प्रस्तुत करता हूं और जो कुछ कहना चाहता हूं वह इसलिए कहता हूं कि मुझे कुछ कहना है, क्योंकि पहली क्लॉज ७ पर जो चर्चा हुई थी उससे मैं इस निर्णय पर आ पहुँचा हूं कि माननीय मन्त्रीजी या गवर्नमेन्ट इस बिल में कोई बात नहीं रखते है और बीच में संशोधन का प्रस्ताव मूव करते हैं तो करते हैं; हमारे मन्त्री महोदय यह बताते हैं कि उन लोगों के लिए कोई भी समय निश्चित नहीं किया जायगा और उनके द्वारा प्रस्तुत किया हुआ यह बिल कह रहा है कि उनकी कोई अवधि निर्धारित नहीं होगी। निश्चित अवधि निर्धारित क्या होगी, यह माननीय मन्त्री महोदय स्वयं ही जानते हैं। अब वैसा का वैसा ही क्लॉज़ १० है कि बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों को बोर्ड की निधि में से भत्ता दिया जायगा जो कि निर्धारित किये जायं। माननीय अध्यक्ष, इस बिल को राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड विधेयक न कह कर "राजस्थान निर्धारित किया जाय विधेयक" कह दिया जाय तो कोई हानि नहीं है। इसमें १८ जगह "निर्धारित किया जाय" और "निश्चित किया जाय" शब्द हैं। बिल के ३८ व ३९ क्लॉजेज़ में १८ जगह "निर्धारित किया जाय" है, अर्थात् १८ जगह राजस्थान सरकार को अधिकार है कि वह मर्जी चाहे उसके अन्तर्गत कार्य करे। मतलब यह है कि राजस्थान विधान सभा से "हां" भराई जाती है। इसके अधीन मन्त्री महोदय और राजस्थान सरकार जो चाहे वह करते हैं। एक ओर तो सदस्यों की कोई अवधि निश्चित नहीं करते हैं और कहते हैं कि वे तपे हुए लोगों को रखना चाहते हैं, इसलिए अवधि की आवश्यकता नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई दलील नहीं है।

[श्री तनसिंह]

माननीय मन्त्री महोदय जो अभी केबिनेट में हैं वे भी तपे हुए हैं और इससे पहले वाली केबिनेट थी उसमें भी तपे हुए थे।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—Come to the scope of the discussion.

श्री तनसिंह—मैं इसी पर कह रहा हूं। मैं इस प्रसंग में अपने आर्ग्युमेंट्स को क्लेरिफाई करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—But no personal aspersions.

श्री तनसिंह—मैं तारीफ कर रहा हूं, बुराई नहीं कर रहा हूं।

इतना सब कुछ होते हुए भी डेमोक्रेसी का नियम है कि चाहे कितना ही कोई बड़ा क्यों न हो, उनको भी निश्चित नीति पर आना चाहिये और इसलिए जब हम बिना निश्चित प्रणाली या निश्चित अवधि पर उनको लेते हैं तो उनके अधिकार और कर्तव्य यहां बिल्कुल स्पष्ट आने चाहिये। यदि हम चाहते हैं कि हम वहां पर ऐसे योग्य व्यक्तियों को निर्धारित करें तो कम से कम यह तो स्पष्ट होना चाहिए कि उनके अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, क्या उनको मिलने वाला है और क्या नहीं मिलने वाला है ! इसमें खण्ड १० में गैर-सरकारी सदस्यों के लिए भत्ते का प्रोविजन किया है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि थर्ड क्लास ऑफिसर होंगे या सेकण्ड क्लास ऑफिसर होंगे या स्पेशल क्लास के ऑफिसर होंगे; न जाने वे किस प्रकार के भत्ते देना चाहते हैं और इसमें कितना व्यय होगा, यह राजस्थान विधान सभा के किसी सदस्य को मालूम नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि माननीय मन्त्री महोदय क्या देना चाहते हैं क्योंकि पहले एक निश्चित अवधि के लिए कहा गया है तो माना नहीं और अब भी कहा गया कि उन लोगों को क्या रेलवे भत्ता और क्या दैनिक भत्ता देना चाहते हैं; तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसके लिए कहीं प्रोविजन नहीं है; बाद में राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। 'निर्धारित किये जायेंगे' हर जगह आता है। माननीय मन्त्री महोदय ने इस बिल में निर्धारित किये जायं जैसे गोलमाल शब्दों में कहा है, वैसी ही गोलमाल भाषा में उत्तर दे सकते हैं। उससे उसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा कि मन्त्री महोदय सिर्फ हमारी हां भरवाते रहें। ब्लेंक पेपर पर मन्त्री महोदय क्या लिखते हैं, सरकार क्या लिखती है; यह हमें मालूम नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे यह बतलायें कि उनको थर्ड क्लास ऑफिसर का या सेकन्ड क्लास ऑफिसर का भत्ता दिया जायेगा। जो कुछ भी कहना चाहते हैं वे स्पष्ट रूप से खुले दिल से बिना भय के क्यों नहीं सामने आते हैं ! १०० रु० देना चाहते हैं या १२ रुपये देना चाहते हैं या उनको स्पेशल ऑफिसर की केडर में रखकर देना चाहते हैं ! जो कुछ भी हो, निश्चित क्यों नहीं किया जाता है। एक चीज पर पर्दा डालकर, उस चीज को छिपा कर क्यों आते हैं ! निर्भय होकर क्यों नहीं सामने आते हैं ! वह कहते हैं कि तपे हुए लोग आयेंगे तो मैं नहीं समझा कि कितने तपे हुए लोग आयेंगे और उन तपे हुए लोगों को ज्यादा से ज्यादा कितनी सुविधायें चाहिये; वे बरसों से तप रहे हैं तो उनके तप के लिये उन्हें कुछ न कुछ चाहिए तो यह निश्चित होना चाहिए कि वह क्या होना चाहिए !

[श्री तनसिंह]

जो चाहिए वह जनता के सामने आकर क्यों नहीं कहते ? मन्त्री महोदय तपे हुए लोगों को देना चाहते हैं तो निर्भय होकर क्यों नहीं कहते हैं कि हमें इतना चाहिए ? उन लोगों के लिए पुरस्कार चाहिए। उनके तप का जो कुछ पुरस्कार वे देना चाहते हैं वह स्पष्ट रूप से सभा के सामने आना चाहिए, वर्ना विधान सभा तो 'निर्धारित किए जाए' पद्म की नीति का समर्थन करती जाएगी और जो कुछ वे देना चाहें देती जायगी। यही मैं निवेदन करूंगा।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, जहां तक मैंने इस एक्ट को समझा है, यह तो बहुत साफ है कि हम विकास की ओर जा रहे हैं, जिन व्यक्तियों के हाथों इन चीजों को देंगे वे दरअसल जिम्मेदार व्यक्ति होंगे और खादी का काम किये हुए होंगे। वे अपने तजुर्बे से सारे गांवों में घूम-घूम कर उन लोगों को जिन्होंने आज तक शुद्ध खादी का काम नहीं किया है उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनकी हिम्मत को बढ़ायेंगे और आर्थिक सहायता देकर इस धन्धे को आगे चलायेंगे। ऐसी स्थिति में इस एक्ट के प्रोविज़न्स का मैं स्वागत करता हूं। देश में कपड़े के लिए इस प्रकार की उन्नति हम करना चाहते हैं और गरीब लोगों की रोटी का सवाल तय करना चाहते हैं। फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि ग्रामोद्योग स्थापित न हों और उनको प्रोत्साहित न किया जाय। जहां तक भत्ते का सवाल है, एक व्यक्ति अपना सारा समय देकर गांव-गांव घूम कर सेवा करना चाहता है तो इसके लिए कुछ न कुछ प्रोविजन रखना पड़ेगा। इस प्रकार की अन्य बोर्डेज़ में जहां कुछ घण्टों तक काम करते हैं वहां भी हम देते हैं तो ये व्यक्ति जो दिन-रात एक करेंगे, राजस्थान के कोने-कोने में घूम कर ग्रामवासियों के बीच में काम करेंगे तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि भत्ते के प्रश्न को इतना समस्यापूर्ण बना लिया जाय।

एक बात जरूर है और वह यह कि इस क्लॉज १० की जो भाषा है उसमें मैं मानता हूं कि तरमीम होनी चाहिये और मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्रीजी स्वयं इसमें अमेन्डमेंट लायेंगे क्योंकि इसमें यह साफ नहीं है कि बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों को बोर्ड की निधि में से ऐसे भत्ते दिये जायेंगे जो निर्धारित किये जांय। तो इसमें यह साफ नहीं है कि भत्ता निर्धारित करनेवाली कोनसी मशीनरी होगी। सब जगह तो राज्य सरकार लिखा हुआ है। सदस्यों को हटाना, नियुक्त करना आदि सभी काम राज्य सरकार को सौंपे गये हैं, बोर्ड को भंग करना हो तो विधान-मंडल की राय से बोर्ड को भंग किया जायगा। लेकिन वह कौनसी मशीनरी होगी जिसके द्वारा गैर सरकारी सदस्यों के भत्ते के बारे में निर्णय किया जायगा ? यदि इसमें ये शब्द और बढ़ा दिये जांय "राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायगा" तो ऐसा करने से मतलब साफ हो जायगा। दूसरी म्युनिसिपेलिटी आदि जो संस्थाएं हैं उनके लिये भी ऐसा ही प्रोविजन है। इसके लिये अलग रूल्स बनाने की सम्भावना नहीं है, दूसरी छोटी-छोटी बातों के लिये हमें सरकार पर ही विश्वास करना चाहिये। इतनी छोटी बातें एक्ट में नहीं आ सकतीं। कमेटी स्वयं अपने लिये भत्ता निर्धारित करे, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। इसलिये राज्य सरकार भत्ता निर्धारित करे ऐसा अमेन्डमेंट मन्त्री महोदय लायेंगे, ऐसी मुझे आशा है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—अध्यक्ष महोदय, खण्ड ७ में यह नहीं बतलाया कि बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का रहेगा। माननीय मन्त्रीजी को यह बतलाना चाहिये था कि उनका कार्य-

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

काल ३ साल का होगा या ४ साल का होगा। उन्होंने तो यह बतला दिया कि वे तपे हुए कार्य-कर्त्ता होंगे, तपे हुए आदमी उनके सदस्य होंगे और खण्ड १० में उनका भत्ता भी निर्धारित नहीं किया गया है। माननीय अध्यक्ष, माननीय मन्त्रीजी यह जानते होंगे कि आज के तपे हुए कार्य-कर्त्ता कैसे हैं? तपे हुए कार्य-कर्त्ताओं में मैं तो सबसे ज्यादा महत्व पण्डित नेहरूजी को देता हूं या राजेन्द्रप्रसादजी को देता हूं, लेकिन उनकी भी अवधि ५ साल की है तो फिर बोर्ड के सदस्यों की अवधि क्यों नहीं निर्धारित की जाती है? मैं माननीय मन्त्रीजी को बताना चाहता हूं कि पैसा किसी को बुरा नहीं लगता है। यह रोग है दुनिया में इसलिये इस बात को हाउस के सामने माननीय मन्त्रीजी तय कर दें कि उनको फर्स्ट क्लास, सेकन्ड क्लास या थर्ड क्लास दिया जायगा और यह भी हाउस में तय करदें कि उनको इतना भत्ता दिया जायगा। यदि ये बातें हाउस में तय हो जाती हैं तो कोई इस पर एतराज नहीं उठावेगा। इसलिये मन्त्रीजी से प्रार्थना है कि भत्ते का क्लॉज़ तय हो जाना चाहिये।

श्री भोगीलाल पंड्या—अध्यक्ष महोदय, यदि मेरे माननीय मित्रों ने खण्ड २(ग) पढ़ लिया होता तो इस तरह की बातें सदन के सामने नहीं आतीं। इसमें लिखा है कि "निर्धारित" से तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा निर्धारित से है।

दूसरे मित्र ने यह बताया कि इसमें "सरकार" शब्द लिखना चाहिये। इसके लिये अर्ज करूंगा कि खण्ड ३७ को यदि वे पढ़ लें तो उनको बिल्कुल स्पष्ट हो जायगा। खण्ड ३७ इस प्रकार है:—

"**नियमः**—राज्य सरकार, राजस्थान राजपत्र में विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी और ऐसे नियम, विशेष रूप से तथा पूर्व-वर्ती प्रावधान की सामान्यता के प्रति प्रतिकूल भाव रखे बिना किसी भी ऐसे विषय के बारे में व्यवस्था कर सकेंगे, जो निर्धारित किया जाना है अथवा जो निर्धारित किया जा सके।" ये दोनों स्पष्ट उत्तर इस विधेयक में मौजूद हैं। इसके अलावा मैं यह बताना चाहता हूं कि इस तरह के जितने भी सार्वजनिक कार्य-कर्त्ता या गैर सरकारी कार्य-कर्त्ता हैं उन सब के लिये एक ही तरह का भत्ता निर्धारित करने की बात सोची जा रही है। जो सबको भत्ता दिया जायगा वही इस कमेटी के सदस्यों को भी दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड १० विधेयक में अङ्ग रूप से जोड़ा जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड १० विधेयक में अङ्ग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ११ विधेयक में अङ्ग रूप से जोड़ा जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड ११ विधेयक में अङ्ग रूप से जोड़ा गया।

खण्ड १२

श्री तनसिंह—अध्यक्ष महोदय, खण्ड १२ (१) (ख) में यह लिखा है कि वह पागल हो जाय या उसका चित्त-विकृत हो जाय। मैं नहीं समझ सका कि पागल हो जाय या चित्त-विकृत हो जाय, में कितना अंतर है! कोई अगर पागल हो जाय तो उसका कोई डाक्टर सर्टिफिकेट दे सकता है और अंदाज भी लगा सकते हैं कि फलां व्यक्ति पागल हो गया है। लेकिन चित्त-विकृत होना ऐसी बात है, जिसके विषय में निर्धारित करना कि इसका चित्त-विकृत हो गया है, कठिन काम है। चित्त-विकृत होना गोलमाल चीज है। इसमें कई बातें हो सकती हैं। किसी के चित्त का विकास है इसका पता लगाना कठिन है। चित-विकृत के लिये अंग्रेजी में फ्रेजोलोजी मैंने नहीं पढ़ी। इसलिये इसको हटा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—Insane and unsound mind.

श्री तनसिंह—"अनसाउन्ड माइन्ड" चित्त-विकृत होता है!

श्री अध्यक्ष—Is it very material?

श्री भोगीलाल पड्या—जो विकृत दिमाग होगा उसको नहीं रखा जायगा, यह साफ है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड १२ विधेयक में जोड़ा जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड १२ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

खण्ड १३

श्री तनसिंह—अध्यक्ष महोदय, इस बोर्ड के सदस्यों को हटाने के विषय में राज्य सरकार को इस खण्ड के अंतर्गत अधिकार दिये गये हैं, लेकिन जो उपखंड (२) है कि राज्य सरकार किसी सदस्य को, उसके प्रस्तावित हटाये जाने के संबंध में चल रही जांच के दौरान में मुअत्तिल कर सकेगी। किसी को मुअत्तिल या सस्पेन्ड इसलिये किया जाता है कि वह जांच के दौरान में अपने अधिकारों का इस प्रकार से प्रयोग नहीं करे जिससे कि जांच के सही ढंग से चलने में आपत्ति आवे। रोड़े अटकाने या अधिकारों का दुरुपयोग करने से रोकने के लिये किसी को सस्पेन्ड किया जाता है। जांच के दौरान में जहां तक सरकारी सदस्यों का संबंध है वहां तक उनके खिलाफ कोई जांच चल रही है तो वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर लें, इसलिये उनको सस्पेन्ड किया जाता है। लेकिन इस बोर्डके संबंध में एक ओर तो माननीय मंत्रीजी उन सदस्यों को काफी योग्य मानकर विश्वासपूर्वक सब से कहते हैं कि आप उनकी योग्यता की बात के विषय में बिल्कुल चुप रहिये और दूसरी ओर उन्हीं लोगों के लिये इतने अधीर हो जाते हैं कि यदि उनके खिलाफ कोई जांच चल रही है तो उनको मुअत्तिल करने के लिये कह रहे हैं। एक ओर उनके प्रति इतने जागरूक हैं और दूसरी ओर इतने शिथिल हैं! दोनों भावनाओं में बिल्कुल विरोधाभास प्रकट होता है। तो मेरा यह निवेदन है कि राज्य सरकार किसी सरकारी सदस्य को हटाने के विषय में यह रखना चाहती है तब तो ठीक है लेकिन गैर सरकारी सदस्य के हटाने के लिये जांच के दौरान में उसको सस्पेन्ड करना मेरे ख्याल से मंत्रीजी के स्वयं के शब्दों के विरुद्ध बात प्रतीत होती है।

[श्री तनसिंह]

और दूसरी बात जो मैं इस क्लॉज़ के अन्दर कह देना चाहता हूं, जो सब क्लॉज़ (५) में इस प्रकार है :—

राज्य सरकार किसी ऐसे कारोबार को जिसके सम्बन्ध में कोई सदस्य उपखण्ड (१) के अधीन हटा दिया गया हो, शून्य घोषित कर सकेगी।

यदि कोई कारोबार शून्य घोषित किया गया है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यह कहीं दूसरी जगह इस बिल में नहीं दिया है। यह हो सकता है कि किसी कारोबार को शून्य घोषित करे तो इसको घोषित करने के बाद किसी को रुपया दिया गया है, लिया गया है और बाकी रह जाता है तो इस बारे में इस बिल में स्पष्ट नही है।

इन दोनों बातों का निर्देश इसमें नहीं आया है, वह होना चाहिये।

श्री रूपनारायण शास्त्री—माननीय अध्यक्ष, जो गैर-सरकारी सदस्य मनोनीत होंगे वे तो बहुत ही तपे हुए और पवित्र होंगे और वे ही लिये जायेंगे, जिनके बारे में किसी प्रकार का कोई सन्देह नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में जो बाहर से आयेंगे वे तो बिल्कुल पवित्र तपे हुए और योग्य होंगे तो उनकी योग्यता में और पवित्रता में तो कोई सन्देह नहीं; फिर उनके प्रति सन्देह की क्या आवश्यकता रहती है कि उनको मोअत्तिल करने की आवश्यकता आये। जिनका चरित्र सर्वोत्तम होगा उनके बारे में हम ही सन्देह कर लें कि वे बेईमान होंगे और उनको हटाने की आवश्यकता पड़ेगी, प्रमाणित होगा तो भी हटा देंगे और प्रमाणित न होने की अवस्था में भी हटा सकेंगे, यह बात खुद अपने ही खिलाफ है।

यह सरकारी सदस्यों के खिलाफ तो हो सकता है क्योंकि वे तपे हुए नहीं हैं, पवित्र नहीं हैं किन्तु बाहर के तो जो होंगे वे पूर्ण तपे हुए होंगे, पवित्र होंगे और योग्य होंगे। तो पवित्र, योग्य और सर्वोत्तम चरित्र वाले अधम चरित्र हो जायेंगे, यह सन्देह क्यों किया जाता है ! यह लज्जाजनक है। इसलिये बाहर से लिये जाने वाले सदस्यों को छोड़ दिया जाय और सिर्फ सरकारी सदस्यों को हटाने का रखा जाय।

श्री मुक्तिलाल मोदी—यह खण्ड १३ (ग) जो है इसके अन्दर सरकार को अधिकार दिया है हटाने का गैर-सरकारी को। तो मन्त्रीजी को चाहिये कि जब वे तपे हुए कार्यकर्त्ता हैं तो उन सदस्यों को हटाने का अधिकार बोर्ड को होना चाहिए। अगर वे किसी प्रकार की गलती करते हैं तो बोर्ड जांच करके उनको हटा सकता है। उन सदस्यों को सरकार हटाने, ये शब्द हटा दें और यह कर दें कि ऐसे गैर-सरकारी सदस्यों को बोर्ड हटा सकता है।

श्री अध्यक्ष—(श्री भोगीलाल पंड्या को लक्ष्य करके) क्या जो संशोधन रखा गया है उसे आप स्वीकार करते हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी नहीं।

अभी आपने बताया कि तपे हुए रचनात्मक कार्यकर्त्ता लिये जायेंगे तो उनके प्रति यह सन्देह क्यों किया जा रहा है ? अध्यक्ष महोदय, वैसे अच्छे से अच्छे सदस्यों को चुनने का प्रयत्न किया जायगा पर प्रत्येक मनुष्य गलती कर सकता है। जब बोर्ड समझे कि उन्होंने गलती की है तो वह सरकार के सामने रखेगा और सरकार उनको सस्पेन्ड कर देगी। फिर अगर कुसूर साबित नहीं हुआ तो वापिस बहाल कर दिया जायगा और कुसूर साबित हुआ तो उन्हें सदस्यता से हटा दिया जायगा।

इसलिये यह रखना बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड १३ विधेयक में जोड़ा जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड १३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड १४, श्री तनसिंह।

श्री तनसिंह—माननीय अध्यक्ष, हमने इस बिल के द्वारा राजस्थान सरकार को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों करार दे दिया है; किसी भी सदस्य को यह जन्म दे, पाले-पोसे, भत्ता दे, बढ़ाये और फिर उसी व्यक्ति को बिना किसी कुसूर के बिगाड़ दे या खत्म कर दे। तो यह तो निश्चित होना चाहिये कि यह राजस्थान सरकार को ही अधिकार रहना चाहिये। क्लॉज़ १४ में दिया है, 'जब पदेन सदस्य के अलावा कोई सदस्य मर जाय, या धारा ११ के अधीन पदत्याग के या धारा १३ के अधीन हटा दिया जाय, या जब कोई सदस्य धारा १२ में उल्लिखित अयोग्यता को प्राप्त हो जाय......

मेरा मतलब यह है कि जब कोई सदस्य "धारा १२ में उल्लिखित अयोग्यता को प्राप्त हो जाय" ये शब्द यहां से हटाना चाहिये। इसका कारण मैं जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि खण्ड-१२ में कुछ अयोग्यताएं बताई गई हैं।

"कोई व्यक्ति बोर्ड का सदस्य नियुक्त होने या सदस्य बने रहने के लिये अयोग्य ठहराया जायगा...... ।"

पर उसको कौन अयोग्य ठहरायगा, यह इस बिल में निश्चित नहीं है। फिर खण्ड १३ को पढ़ते हैं तो उपखण्ड (च) में लिखा है :

"वह अन्यथा सदस्य रहने के लिए अनुपयुक्त हो।"

इसका मतलब यह है कि खण्ड १३ के अन्तर्गत उन सदस्यों को हटा सकते हैं जो खण्ड १२

[श्री तनसिंह]

के उपखण्ड (१) के पद (क) से (च) इत्यादि से सम्बन्धित हों और इसके अतिरिक्त अन्यथा सदस्य रहने के अनुपयुक्त हों, तो खण्ड १२ में बताई हुई अयोग्यता उनके लिए है। यह खण्ड सरकार को अधिकार देता है कि खण्ड १२ की अयोग्यता वालों को हटा सके। पर यह चीज इसके विरुद्ध आ गई कि खण्ड १२ में लिखी अयोग्यता को प्राप्त हो जाय। खण्ड १३ का निर्देश कर दिया है तो खण्ड १३ के उप खण्ड (१) के पद (च) में है कि वह अन्यथा सदस्य रहने के अनुपयुक्त हो। १२ में अयोग्य साबित हो जाय; तो इससे यह साफ होता है कि राजस्थान सरकार की बिना आज्ञा के, बिना निर्णय के ही वह स्वयं हटा हुआ माना जायगा।

ऐसा मौजूदा म्युनिसिपल बोर्ड के कानून में है:—

" He shall be deemed to have vacated his seat. "

इसका मतलब साधारण दृष्टि से यह है कि वह माना जायगा कि उसका स्थान रिक्त हो गया। कई जगहें ऐसी होंगी, जैसा कि भरतपुर की म्युनिसिपेलिटी का उदाहरण दिया था कि निश्चित अवधि तक कोई सदस्य नहीं गया तो प्रेसिडेन्ट ने कह दिया कि आपका स्थान रिक्त हो गया है।

लेकिन राज्य सरकार अभी तक इसे मानती आ रही है :

" Shall be deemed to have vacated his seat. "

इसका मतलब जब तक राज्य सरकार निश्चित नहीं करदे नहीं माना जावेगा। खण्ड १३ में यह अधिकार दिया गया है कि राज्य सरकार इसका निर्णय नहीं करेगी तब तक वह व्यक्ति सदस्यता से नहीं हटाया जावे। यहीं मत है और यदि यही मंशा है तो ये सब बातें खण्ड १२ और १३ में आ जाती हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो शब्द मैंने हटाने के लिए रखे हैं वे हटाये जावें और उनके हटाने से भाव जो अस्पष्ट हैं स्पष्ट हो जावेंगे।

श्री अध्यक्ष— It is quite clear., इसमें जो उसके डिस्क्वॉलिफिकेशन्स हैं वे भी आ जाती हैं।

श्री भोगीलाल पंड्या— यह तो डिस्क्वॉलिफिकेशन्स बारे में कहा है। डिस्क्वॉलिफिकेशन के लिए खण्ड १२ और १३ में साफ दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड १४ विधेयक में जोड़ा जाय।

खण्ड १४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(स्वीकृत)

खण्ड १५ व १६

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि खण्ड १५ एवं १६ विधेयक में जोड़े जावे।

(स्वीकृत)

खण्ड १५ व १६ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गए।

खण्ड १७

श्री तनसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं अपना समय फजूल खर्च कर रहा हूं और अपनी जीभ घिस रहा हूं। कोई बात मानी तो जाती नहीं, फिर भी यह बात कह कर समय खर्च करना और जीभ घिसना ही है। मैंने पहले अभी बहुत सारी बातें बताई, मगर उसका यही उत्तर दिया गया कि खण्ड १२ और १३ में ये हैं। अगर कोई कारण बतला कर मुझे समझाते और मेरी दलीलों का उत्तर देते क किस प्रकार से जो बातें मैंने बताई हैं वे लागू नहीं होतीं तो मैं कान पकड़ कर अपनी बात को वापिस लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन दलीलों का उत्तर दलीलों से नहीं देकर यह कह देना कि यह धारा स्पष्ट है, तो इससे अच्छा यह होता कि कोई उत्तर ही नहीं देते।

मैं यहां पर यह निवेदन करूंगा कि खंड १७ के उपखण्ड (२) के अंतर्गत पद (ख) में यह लिखा है, "ऐसी सभी देयता जो वैधिक रूप से अस्तित्ववान् हैं, तथा जो उक्त बोर्ड के विरुद्ध कार्यान्वित किये जाने योग्य हैं उस मात्रा तक राज्य सरकार के विरुद्ध कार्यान्वित किये जाने योग्य होंगी जिस मात्रा में उपरोक्त खड (क) के अंतर्गत निधियां व सम्पत्तियां राज्य सरकार में निहित हों"।

अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी विचित्र बात हमारे सामने आई कि जब बोर्ड को भंग किया जावेगा तो विधान सभा को पूछ कर भंग किया जावेगा। यह एक बात विधान सभा को खुश करने के लिये बनाई गई है। जिस तरह मंत्री-मंडल है उस तरह से ये बोर्ड तो नहीं होगा, वह तो आप बनावेंगे। मगर विधान सभाइयों को यह फुसलाने के लिये कि आपको यह अधिकार दिया जाता है यह खंड १७ बनाकर यह भुलाया गया है कि जब हम इस बोर्ड को विघटित करेंगे तो आपको पूछ कर करेंगे। जब आप किसी को बनाना चाहते हैं तो उस समय हमसे नहीं पूछते कि हम इनको बोर्ड के सदस्य बना रहे हैं। जब आप उनको बनाते हैं और किसी भूल के कारण वह बोर्ड काम नहीं कर सकता तो आप उसको विधान सभा पर छोड़ना चाहते हैं। जब आपने उसको कायम किया तो आपही उसको गलती पर तोड़ सकते हैं। विधान सभा के सामने इस प्रश्न को लाने की क्या आवश्यकता होती है।

इसके अलावा जब यह बोर्ड भंग होगा तो इसके सब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ राज्य सरकार में आ जाती है। आपने एसेट्स की जो बात कही वह तो ठीक हैं लेकिन जहां तक लाइबिलिटीज़ का प्रश्न है सरकार यह कहती है कि उतना ही एमाउन्ट देंगे जितना वे रिकवर करेंगे। इस पद (ख) का मतलब है जिसके लिये मैंने अपना सुझाव रखा है। जहां पर बोर्ड एक व्यापार करने वाला मंडल है तो इस प्रकार किसी भी व्यक्ति को व्यापार करने में देने और लेने का विश्वास तभी होगा जब राजस्थान सरकार का (अश्रव्य) हो। लोग उसके साथ व्योपार तभी करेंगे जब राजस्थान सरकार की तरफ से उनको विश्वास होगा। लेकिन बहां लोगों के देने का प्रश्न आता है सरकार यह कहती है कि जितना एसेट

[श्री तनसिंह]

हम वसूल करेंगे उतना ही लोगों को चुकावेंगे। यह कैसे हो सकता है ? बोर्ड को किसी से १०८० ही लेने हैं और १५ रू किसी को देते हैं; आप १०८ तो वसूल कर लेंगे और देने वाले को कहेंगे कि तुम को १० रुपये मिलेंगे क्योंकि बोर्ड से १० रुपये ही वसूल हुए। मैं नहीं समझ सकता कि इस प्रकार का कानून किस तरह हो ? अगर इस तरह का कानून बनता है तो लोगों का विश्वास बोर्ड के प्रति नहीं रहता। आमद से खर्च ज्यादा हो ही कैसे सकता है ? या तो निरीक्षण अच्छी तरह से नहीं होता या इन्सपेक्शन करने के लिये कोई जाता नहीं, इसका मतलब यह होगा कि किसी प्रकार का निरीक्षण या इन्सपेक्शन नहीं हो। यदि बोर्ड को अच्छी तरह से चलाना है और ओडिट करने का अधिकार दे दें तो क्या कारण है कि एसेट्स लाइबेलिटीज़ से घट जावें। लाइबेलिटीज़ यदि एसेट्स से बढ़ जाती हैं तो यह राजस्थान सरकार के कुछ तपे हुए लोगों के कारण है जिनको राजस्थान सरकार विधान सभा के सदस्यों से ज्यादा जिम्मेवार समझती है और विधान सभा से न पूछ कर स्वयं अपनी इच्छा और विश्वास पर रखाना चाहती है। लाइबेलिटीज़ को भी देना चाहिये। इसलिये यह कहना कि ऐसी राशि को हम नहीं देंगे जो ऐसेट्स से ज्यादा हों, वाजिब नहीं। अतः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस "मात्रा तक" और 'जिस मात्रा में" ये शब्द हटा दिये जावें।

श्री रूपनारायण शास्त्री—खण्ड १७, उपखण्ड......

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Minister should take the earliest opportunity to reply.

श्री रूपनारायण शास्त्री—इसमें संशोधन रखा है।

माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बोर्ड के सम्बन्ध में किसी व्यापारी को किसी प्रकार का सन्देह नहीं होना चाहिए। खण्ड १७ के उपखण्ड (१) में बोर्ड के विघटन का प्रश्न है और उपखण्ड (२) के पद (क) में यह लिखा है, "उक्त बोर्ड में निहित समस्त निधियां व अन्य संपत्तियां राज्य सरकार में निहित हो जावेंगी।" इससे तो बोर्ड के अस्तित्व के बारे में ही सन्देह प्रकट होता है। किसी व्यापार के सम्बन्ध में किसी व्यापारी को सन्देह नहीं होना चाहिये। जब तक सन्देह नहीं होता है तब तक व्यापार चला करता है और जब सन्देह हो जाता है कि पैसा मिलेगा या नहीं, तो व्यापार का चलना कठिन हो जाता है। इसलिए बोर्ड की साहूकारिता होनी चाहिए। साहूकारिता को देखते हुए यदि किसी व्यापारी का पैसा बोर्ड में रह जाता है तो वह उसको देना ही चाहिए। जो न्यायोचित पैसा है वह उसको मिलना ही चाहिए, लेकिन इसमें यह विशेषता रखी है कि हमारे पास जितना पैसा होगा उतना ही देंगे, यह तो कोई नियम नहीं है। जिसका पैसा आता है उसको इस बात की जांच की आवश्यकता नहीं है कि आपके पास पैसा है या नहीं, कितना है और कितना नहीं। किन्तु उसकी आवश्यकता है कि उसको उसका पैसा मिलना चाहिए।

इसमें उपखण्ड (२) के अन्तर्गत (ख) भाग रखा गया है," जिसमें लिखा है, ऐसी सभी देयता, जो वैधानिक रूप से अस्तित्ववान् हैं, तथा जो उक्त बोर्ड के विरुद्ध कार्यान्वित किये जाने योग्य

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

है उस मात्रा तक राज्य सरकार के विरुद्ध कार्यान्वित किये जाने योग्य होगीं, जिस मात्रा में उपरोक्त खण्ड (क) के अन्तर्गत निधियां व सम्पत्तियां राज्य सरकार में निहित हों।" तो इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य सरकार के पास जितना पैसा बोर्ड का है उस पैसे को तो राज्य सरकार दे सकेगी और इससे अधिक होगा तो राज्य सरकार नहीं दे सकेगी। तो मैं यह कहता हूं कि राज्य सरकार की निगाह में, निरीक्षण में यह बोर्ड चल रहा है तो उसमें ऐसा पैसा हो ही कैसे सकता है जो देय न हो और उसकी स्थिति से बाहर हो। जब वे काम में दक्ष हैं, तपे-तपाये कार्य-कर्त्ता उस बोर्ड में लिये गये हैं, गैर-सरकारी सदस्य और सरकारी सदस्य दोनों उसमें हैं, दोनों की सम्मिलित शक्ति से बोर्ड चल रहा है तो फिर यह क्यों हो कि पैसा किसी का होगा तो हमारे पास होगा, उतना देंगे। इससे तो यह मतलब हो जाता है कि देना तो वाजिब है, लेकिन हमारे पास होगा जब देंगे। इससे तो बोर्ड की ईमानदारी पर आघात आता है। इसलिए ये जो शब्द हैं 'अन्तर्गत निधियां व सम्पत्तियां राज्य सरकार में निहित हों' नहीं होने चाहिए। इसमें जिसका जितना देना है राज्य सरकार देगी, यह स्पष्ट घोषित होना चाहिए।

श्री भोगीलाल पंड्या—अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र बार-बार यह कहा करते हैं कि हम यहां जो बातें कहते हैं उनका बराबर जवाब नहीं दिया जाता। मैं उन्हें निवेदन करूं कि जितना जवाब देना आवश्यक होता है उतना जवाब दिया जाता है और जो आवश्यक नहीं होता उसका जवाब नहीं दिया जाता। उन्हें यह देखना चाहिए कि न तो उन्होंने संशोधन समय पर दिये और न ही मेरे पास उन्होंने भेजे। फिर भी मैंने वे इसलिए स्वीकार किये कि एक-एक क्लॉज़ पर उनकी बात सुनी जाय और यदि उसमें सुधार की गुन्जाइश हो और कोई आवश्यक बात हो तो उसको देख लिया जाय। इस पर भी बार-बार यह कहा जाय तो ठीक नहीं मालूम होता। हमारे विद्वान् मित्र अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तराधिकार का एक सामान्य उसूल है। उत्तराधिकारी पूर्वजों के ऋण को देने का उसी हद तक उत्तराधिकारी होता है जितनी जायदाद उसको पूर्वजों से मिली हो। यह एक मोटा-सा नियम है। यह बोर्ड दूसरों के देने का कैसे जिम्मेदार हो सकता है? इसलिए इसमें से 'उक्त बोर्ड में निहित समस्त निधियां व अन्य सम्पत्तियां राज्य सरकार में निहित हो जावेंगी' हटाने का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता। इसकी बड़ी आवश्यकता है और वे शब्द इसमें रहने चाहिए।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड १७ विधेयक में जोड़ा जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड १७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

खण्ड १८

श्री तनसिंह—माननीय अध्यक्ष, इस पर माननीय मन्त्री महोदय ने कुछ उत्तर दिया है। चाहे गलत हो या सही, मैं समझता हूं कि इस प्रकार का उत्तर देना ही चाहिए, चाहे बुरा ही हो। उत्तर देते रहें तो वे हमारी बात को समझ कर उत्तर देते हैं, चाहे हमारे लिए वह सन्तोष-जनक न हो।

श्री अध्यक्ष--This was a legal reply.

श्री तनसिंह—खण्ड १७ में जो उल्लेख है वह सन्तोषजनक नहीं। उसका उत्तर दिया। अब उस पर जाने से मेरा कोई मतलब नहीं।

खण्ड १८ में कुछ कार्य निर्धारित किये गये हैं। उसमें बोर्ड को कार्य-निष्पादन करने के लिए कुछ ड्यूटीज दी गई हैं। क्या क्या ड्युटीज़ होंगी वे सारी इस क्लॉज़ में निर्धारित कर दी गई हैं। लेकिन क्लॉज़ १८ में यह लिखा हैं 'कि ऐसे अन्य कार्य जो निर्धारित किये जायं और उपखण्ड (१०) में आया है,' ऐसे कार्य करते रहना जो अधिनियम के उद्देश्यों के लिए आनुषंगिक व हित-साधक हों। तो बोर्ड को इस प्रकार के अधिकार दिये गये हैं कि इस एक्ट से इन्कॉन्सिस्टेन्ट न हों और बोर्ड की बातों को नोट करने के लिए हों। ऐसे कार्यों को करने का अधिकार बोर्ड को दिया है। यदि राज्य सरकार कोई अधिकार निर्धारित करना चाहती है तब तो वह ठीक है, लेकिन इस प्रकार के कार्य न हों और बिना कार्य के हों, अधिनियम के अनुकूल न हों या हित-साधक न हों, विपरीत हों या अतिरिक्त हों तो ऐसे कार्यों के लिए अधिकार देने की मंशा इस एक्ट की नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—रेजिड्युअरी क्लॉज है।

श्री तनसिंह—रेजिड्युअरी है तब तो इसमें 'ऐसे कार्य करते रहना, जो इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए आनुषंगिक व हित साधक हों,' यह साफ होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष— What is the use of repitition.

श्री तनसिंह—तो इस प्रकार यदि वे निश्चित तौर पर इस अधिनियम में उन कार्यों को निर्धारित करेंगे और इस एक्ट के अन्तर्गत उनका स्पष्टीकरण हो जाय तो ठीक रहेगा।

रावत श्री शम्भूसिंह—माननीय अध्यक्ष, मुझे केवल एक शब्द पर आपत्ति है और उसके लिए अर्ज करना चाहता हूं।

क्लॉज़ १८ में बोर्ड के कार्यों का उल्लेख है। उसमें लिखा है कि 'बोर्ड निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेगा"। अगर 'निष्पादन' की जगह 'संपादन' शब्द हो तो ठीक है। 'संपादन' ज्यादा प्रोपर वर्ड है।

श्री भोगीलाल पंड्या—'निष्पादन' ही ठीक है। यदि 'संपादन' ठीक है तो इस बारे में मैं जानकारी प्राप्त करके आपको जवाब दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—शास्त्रीय बातें हैं, जवाब देंगे।

श्री भोगीलाल पंड्या—एक और खण्ड है। इसमें नई बात तो कोई नहीं बताई गई है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड १८ विधेयक में जोड़ा जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड १८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड १९ से २२

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १९, २०, २१ व २२ विधेयक में जोड़े जायं।

श्री मुक्तिलाल मोदी—खण्ड २१ के अन्दर 'सेक्रेटरी' के विषय में बोलना है।

श्री अध्यक्ष—आपका कोई भी अमेन्डमेन्ट नहीं है। पुनः प्रश्न यह है कि खण्ड १९, २० २१ व २२ विधेयक में जोड़े जायं।

(स्वीकृत)

खण्ड १९, २०, २१ व २२ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

खण्ड २३ से ३४

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड २३ से ३४ विधेयक में जोड़े जायं।

श्री मुक्तिलाल मोदी—२४ पर बोलना है।

श्री अध्यक्ष— No.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—क्लॉज़ पर तो बोल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—No. It was only a leniency that I allowed otherwise there were no cut-motions and in one motion the Bill would have been passed.

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि खण्ड २३ से ३४ विधेयक में जोड़े जायं।

(स्वीकृत)

खण्ड २३ से ३४ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

(खण्ड ३५ से ३९)

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ३५, ३६, ३७, ३८ और ३९ विधेयक में जोड़े जायं।

(स्वीकृत)

खण्ड ३५ से ३९ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

खण्ड १, प्रारम्भिक एवं भूमिका भाग

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १, प्रारम्भिक एवं भूमिका भाग विधेयक में अंगरूप से जोड़े जायं।

(स्वीकृत)

खण्ड १, प्रारम्भिक एवं भूमिका भाग विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री भोगीलाल पंड्या—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री जवानसिंह—अध्यक्ष महोदय, हाल में सदन में एक के बाद दूसरे क्लॉजेज़ लेकर खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को कायम करने के लिये विधेयक पास किया जा रहा है। इस संबन्ध में मैं दो-चार शब्द निवेदन करना आवश्यक समझता हूं। यह तो सरकार की ओर से, माननीय अध्यक्ष, स्वीकार किया गया है कि पहली मर्तबा इस प्रकार का कानून ग्रामोद्योग और खादी की उन्नति के लिए पेश किया गया है। यह राजस्थान के इतिहास में पहला और सुनहरा मौका आया है जब कि हमारे सामने इस प्रकार का कानून आया। इस प्रकार के कानून बनाने का यह पहला मौका है। इसमें इस प्रकार की कार्यवाहियां रखी गई हैं, इस प्रकार की प्रणाली सरकार ने अपने हाथों रखी है और इस तरह की चीजें जब इसमें देखते हैं तो बहुत दुःख होता है। हम यह देखते हैं कि इस प्रकार

[श्री जवानसिंह]
के अधिकार अपने हाथ में लेकर जनता के साथ ज्यादती करने के बारे में सरकार सोच रही है। इस प्रकार के प्रावधान हम इस विधेयक में देखते हैं। जहां तक इस बोर्ड के सदस्यों के मनोनीत करने का प्रश्न है उसको भी सरकार ने अपने हाथ में रखा है और इस बोर्ड की अवधि का जहां तक प्रश्न है उसको अपने हाथ में रखा है। इस तरह से तमाम बातें सरकार ने अपने हाथ में रखी हैं। आज तक कोई ऐसा बिल सदन द्वारा पास नहीं किया गया जिसमें सब अधिकार सरकार को दे दिये हों। हमारे वेतन और भत्ते आदि के प्रश्न वाला बिल भी सदन द्वारा पास किया गया। वह भी इसलिये कि हम नहीं चाहते कि कोई भी अधिकार ऐसे दे दिये जायं जिनमें बाद में किसी प्रकार की गड़बड़ी पैदा हो। हमारे इरादों पर लान्छन लगाये जांय, इस प्रकार की बातों से बचने के लिये विधान सभा द्वारा इस बिल को पास किया। जहां तक इस बिल का ताल्लुक था इसकी अवधि और सदस्यों की नियुक्ति का प्रश्न सरकार ने अपने अधिकार में रखा। सरकार को इसमें क्या डर था कि सदन इसको पास करेगा या नहीं? इससे पहले भी बहुत से कनून पास किये हैं उन्होंने, जैसा चाहा है वैसा ही हुआ है; फिर क्या वजह थी इस कानून के अन्दर सरकार को इस प्रकार की परेशानी हो जिसके कारण ये सब सरकार ने अपने हाथ में अधिकार रखे। क्या उनके दिमाग में यह बात थी कि अपने विश्वास-पात्रों और कृपा-पात्रों को वे इस बोर्ड के अन्दर सदस्य नहीं बना सकेंगे। यह अधिकार लेने से यह होगा कि कोई भी आदमी नहीं पूछ सकेगा कि इसको क्यों मुकर्रर किया। सरकार की नजर में माननीय अध्यक्ष, कई ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो बिल्कुल अनुपयुक्त हों और जिनको केवल फायदा पहुंचाने की नीयत से सदस्य मुकर्रर करना चाहते हैं। चूंकि अपने हाथ में अधिकार रखे हैं, वे मुकर्रर कर सकते हैं। जायज तौर से कर सकते हैं इसलिये इस प्रकार के अधिकार हाथ में लेने की कोशिश की है। यह एक गलत तरीका है। अगर उनको किसी प्रकार की गलती या संशय हो तो उनको सदन के सामने रखना चाहिये, कानून के अन्दर इन तमाम बातों को व्यक्त करते, खुलासेवार रखते; ताकि सदन इस बात के लिये कोशिश करता कि वाकई इतनी बातें, इतने अधिकार होने आवश्यक हैं, इतनी अवधिकाल होना जरूरी है, इतना मुकर्रर कर सकते हैं, लेकिन यह जो आजन्म का पट्टा देने जा रहे हैं, सुविधायें देने जा रहे हैं वाकई में यह ठीक है या नहीं, यह सदन के सामने आना चाहिये था। कम से कम इस पर बहस करने का मौका सदन को दिया जाना चाहिए था ताकि सदन यह सोच सकता कि आपने सब बातें ईमानदारी के साथ सदन के सामने रखी है। लेकिन इन तमाम बातों की अवहेलना की गई है। मेरी मान्यता है कि इस प्रकार का जो कानून आज हम पास करने जा रहे हैं, उसको ईमानदारी का कानून नहीं कह सकते। इसलिये माननीय अध्यक्ष, मेरा यह निवेदन है कि जिन बातों पर जोर दिया जा रहा है उनमें काम का तरीका सही होना चाहिये और इन कामों का जो तरीका हो वह एक प्रकार से स्वस्थ प्रवृत्ति के रुप में होना चाहिये, लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं कि लक्ष्य तो अच्छा रखा है लेकिन जो प्राप्ति का रास्ता है वह ठीक नहीं है। लक्ष्य की ओर बढ़ने का जो तरीका अपनाया गया है वह तरीका ऊंचा नहीं है। आज हमें इस प्रजातन्त्र में ऐसे रास्ते अपनाने चाहिये जिससे किसी को यह मालूम न हो सके कि इसमें ईमानदारी से काम नहीं लिया गया और न किसी प्रकार की ज्यादती होने पावे, लेकिन इस कानून में इन तमाम बातों को सेट असाइड कर दिया गया। इन शब्दों के साथ इस कानून के लक्ष्य को ठीक मानते हुए भी दूसरी चीजें जो इसमें की गई हैं उसके कारण मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री तनसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैंने जो अमेन्डमेन्ट्स इस बिल पर दिये थे उनको नहीं लिया गया। अगर उनको लिया जाता तो उस सम्बन्ध में जो उत्तर माननीय मन्त्री देते तो मैं उनका जवाब दे सकता था। चूंकि उनको रिजेक्ट कर दिया गया, इसलिये मैं उनके विषय में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—Practically the same things you have moved by way of amendments.

श्री तनसिंह—(जारी) माननीय अध्यक्ष, आज यह बिल हमारे सामने विचारार्थ आया है और हम आज ही इसे पास करने जा रहे हैं। इस पर मैंने कुछ अमेन्डमेन्ट्स रखे थे। अगर कोई सदस्य, जो कि केबिनेट के सदस्य नहीं होते और ट्रेज़री बेन्चेज़ पर न होते हुए एतराज करते तो यह इस प्रकार से ठीक था। किन्तु मेरे संशोधनों को न लेने के बारे में माननीय मन्त्री ने एतराज उठाया कि क्योंकि वे संशोधन आज ही आये हैं, इसलिये उन्हें नहीं लिया जाय। इससे मैं ऐसा मानता हूं कि आज का वाद-विवाद काफी संक्षिप्त हो गया। अगर राजनैतिक अनुदारता हम बरतते तो हमारे सामने इस प्रकार के रूल्स और अधिकार हैं जिनकी तहत आज हम इस बिल को स्थगित करा सकते। इसलिये मैं माननीय अध्यक्ष, मेरे मित्र का ध्यान प्रक्रिया की नियमावली के नियम १४६ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें यह है कि अगर किसी बिल को जिस पर एक ही संशोधन न आया हो माननीय मन्त्री अगर चाहें कि वह बिल उसी रोज पास हो जाय तो इस विषय में हमें भी अधिकार है कि हम अपना एतराज उठायें। वह एतराज, जब तक माननीय अध्यक्ष अपने डिस्क्रिशनरी के पॉवर एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं तो वह लागू हो सकता है। ऐसी सूरत में हम यह चाहते तो इस बिल को आगे के लिये रख सकते थे। मैंने जो संशोधन रखे थे उनसे यह मतलब नहीं था कि हम आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। मेरा यह ख्याल है कि जितने भी संशोधन आये हैं वे सब उचित संशोधन थे, उनसे हमारा किसी प्रकार इस बिल में रोड़ा अटकाने का सवाल ही नहीं था।

श्री अध्यक्ष—आप बिल के बारे में कहिये।

श्री तनसिंह—(जारी) जिस चीज को कहना है अगर उसकी भूमिका पहले नहीं बांधी जाय तो उसका वर्णन ठीक प्रकार से नहीं हो सकता। अब मैं जल्दी में कह देता हूं।

श्री अध्यक्ष—Personal prefaces should be avoided.

श्री तनसिंह—(जारी) अगर संशोधनों को लिया जाता तो उसके उत्तर-प्रत्युत्तर में काफी समय चला जाता, वैसे भी समय काफी पड़ा है।

श्री अध्यक्ष—We can extend for a day more if there is something else to come.

श्री तनसिंह—(जारी) तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल इतनी जल्दी में हमारे सामने आया है कि हम इस पर कुछ विचार नहीं कर सके, इसलिये इसको पास नहीं किया जाय।

[श्री तनसिंह]

क्यों न पास किया जाय, इसलिये कि माननीय मन्त्री ने अभी विचारों के दौरान में यह जवाब दिया जिससे कि यह साफ जाहिर होता है कि माननीय मन्त्री और राजस्थान सरकार स्वयं इस विषय में स्पष्ट नहीं है। इस विषय में माननीय मन्त्री एक भी बात का स्पष्ट उत्तर नहीं दे सके। उन्होंने इस सिद्धान्त को बतलाया कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनता है तो वह उतनी ही सीमा तक उसका उत्तरदायी होता है जितनी सीमा तक वह प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार यह बोर्ड है, जिसका उत्तराधिकार राजस्थान सरकार को होता। यह राजस्थान सरकार उसी प्रकार इस बोर्ड की उत्तरदायी है। लेकिन मैं तो यह समझता हूं कि बोर्ड जो बनाया गया है वह बोर्ड राजस्थान सरकार द्वारा बनाया जाय। जब कि राजस्थान सरकार इस बात को योग्य समझती है तो उतनी ही आवश्यक वह विधान सभा से पूछना नहीं चाहती। सरकार को विधान सभा को बताना चाहिये कि यह बोर्ड कितने वर्ष के लिये रहेगा, उसको क्या-क्या अधिकार दिये गये हैं, उसके मेम्बर्स जो हों उनको क्या भत्ता दिया जाय ? इन सब बातों के विषय में सदन को जानकारी दी जानी चाहिये। इस बिल से यह होगा कि बोर्ड चाहे जिस व्यक्ति से कुछ भी ले ले, जनता को लूटे, जनता को कितना ही फुसला कर ले ले, चाहे जितना कर्जा कर ले और उस कर्जे पर चाहे जितना कर लो, लेकिन जब प्रश्न आता है वापिस देने का उस समय बोर्ड को भंग कर दिया जाता है; विधान सभा की छाप लगाकर कहा जाता है कि यह बोर्ड निकम्मा है इसलिये हटा दिया जावे और असेट्स और लाइबेलिटीज़ जो हैं उनमें लाइबेलिटी से ले लेगा तो मेरा यह निवेदन है कि जो इस तरह का अपव्यय हो रहा है जो कार्य लिया गया, मैं तो यह समझता हूं कि राजस्थान सरकार के ही कारण लिया जाता है। उनको अपनी मर्जी के माफिक रखते हैं। पैसा देते हैं, व्यय करते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक ही नियम बनाकर निरीक्षण के नियम बनाते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि उनके कार्य के लिए राजस्थान सरकार किस तरह उत्तरदायी होगी।

यह बोर्ड यदि कुछ गैर-कानूनी बात करेगा, यदि यह बोर्ड अपने असेट से ज्यादा कर्जा ले लेगा तो सिर्फ जिम्मेदार एक ही हो सकता है; विधान सभा या जनता नहीं, सरकार ही जिम्मेदार होगी। राजस्थान सरकार जब विधान सभा से अपने सारे अधिकार लेना चाहती है तो क्यों फिर और कोई जिम्मेदार होने लगा !

इसलिए मैं अपील करूंगा राजस्थान सरकार से और उसके मन्त्री महोदय से कि वे मेरी बात को स्वीकार करेंगे।

श्री तनसिंह—माननीय अध्यक्ष, आज स्वीकार नहीं करें तो परसों कर लें, इससे कोई पर्पज़ बचने वाला नहीं मैं।

श्री अध्यक्ष—कोई अमेन्डमेन्ट है आपका ?

श्री तनसिंह—उनके ऑब्जेक्शन से सधने वाला है !

श्री अध्यक्ष—उससे कोई मतलब सिद्ध हो तो मैं पांच रोज बाद मे कर दूँ, but what purpose will be served if it is postponed for future ?

[श्री अध्यक्ष]

आपने टेक्नीकल ऑब्जेक्शन किया कि "Where the objection prevails, a motion that Bill be passed may be brought forward on any future day."

What purpose will be served if I put the quesstion on the next day ?

श्री तनसिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तो चाहे आज हो या कल, इसमें कोई एतराज नहीं। मैं तो सिर्फ, मन्त्री महोदय ने मेरे संशोधन के प्रति जो राजनैतिक अनुदारता बरती है उसके प्रत्युत्तर में कह रहा हूं और आपकी इच्छा हो तो मैं पेश नहीं करूंगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी--माननीय अध्यक्ष जी,......

श्री अध्यक्ष—आप संशोधन देते तो मैं आपको तीन रोज तक बोलने देता।

श्री मुक्तिलाल मोदी—थर्ड रीडिंग पर तो बोलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष—बोल लीजिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी--माननीय अध्यक्ष जी,......

श्री अध्यक्ष—जो खादी और ग्रामोद्योग की बात आप बोल चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति न करें, अगर करेंगे तो मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी—यह जो आदमी इसमें रक्खे जाने वाले हैं वे सदन को बता दिये जाते तो अच्छा होता। इसमें हदन के आदमियों को रक्खे जाने की कोई बात नहीं कही गई है। खण्ड २१ में सरकार ने सारे अधिकार अपने हाथ में लिये हैं।

दूसरा, खण्ड २८ में यह है कि बोर्ड बन जाने के बाद सरकार जिम्मेदार नहीं रहेगी, बोर्ड जिम्मेदार होगा। ऐसी बात तो कहीं-कहीं देखी गई कि गलती करे सरकार और जिम्मेदारी पड़े बोर्ड पर। तो इसलिए इस खण्ड २८ को माननीय मन्त्री जी को देखना चाहिये। जिस दिन से बोर्ड बने उस दिन के बाद से जो भी वह करे उसके लिए बोर्ड जिम्मेदार होना चाहिये। तो ऐसी हालत में वह बोर्ड क्या काम कर सकेगा ?

(श्री गुलाबचन्द कासलीवाल, सभापति पदासीन)

इस तरह का संशोधन मैंने जरूर नहीं दिया, पर यह तो खण्ड २४ में सरकार को खुद को देखना चाहिये कि जो काम बोर्ड नहीं करे उसके लिए वह कैसे जिम्मेदार हो सकता है।

खण्ड २८ में जो माननीय मन्त्रीजी ने यह बताया है कि हर साल का जो कार्यक्रम होगा वह सरकार के पास जावेगा और उसमें सरकार जो कुछ भी काट-छांट करेगी वह उस

Page No.67

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

बोर्ड को मान्य होगा। तो माननीय मन्त्री जी अगर बोर्ड बनाते हैं तो उनको यह देखना चाहिये। म्युनिसिपेलिटी एक्ट बनाया, पंचायत एक्ट बनाया ऐसा किसी एक्ट में नहीं है। इसी में ऐसा क्यों होना चाहिये ?

माननीय चेयरमेन, खण्ड २८ (३) में लिखा है कि सरकार के पास सारे कार्य-क्रम की सूची जावेगी और उसमें सरकार काट-छांट करेगी और सूची काट-छांट करने के बाद मन्जूर होगी। तो बोर्ड के जो सदस्य होंगे वे बहुत ऊंचे दर्जे के होंगे। अतएव ऐसी स्थिति में ऐसा करना सरकार के लिए उचित नहीं होगा। तो यह जा बात रक्खी गई है यह तो एक तरह से सदस्य को भुलावे में रखने की बात है क्योंकि सरकार ने उन सदस्यों को कुछ भी अधिकार नहीं दिये हैं। वह सब अधिकारों को अपने हाथ में रखती है तो माननीय मन्त्रीजी ने इस बिल में दूसरे सदस्य सरकार के अन्दर से न रख कर दूसरे सदस्यों का प्रोविजन किया है, वह नहीं रखना चाहिये था। उसमें सरकारी सदस्यों का ही प्रोवीजन कर लेना चाहिये था। अगर दूसरे सदस्यों का प्रोविजन किया है तो उनके अधिकार, कम से कम यह जो कार्यक्रम की सूची है उसको घटाने और बढ़ाने का अधिकार जो है, वह भी सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। खण्ड ३० में राजस्थान सरकार ने बजट के बारे में कहा है कि बजट राजस्थान सरकार के पास जायेगा। उसमें जो भी राजस्थान सरकार कुछ कांट-छांट करेगी उसके बाद वह चीज होगी। तो आज जितने भी बजट उन संस्थाओं के; जैसे कि म्युनिसिपेलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और पंचायतों के भी अब चुनाव हुए हैं उनके भी बजट बनायेगी तो उसी तरह से आज इस बोर्ड का बजट बनाकर राजस्थान सरकार के पास जायेगा और उसमें काट-छांट करने का अधिकार सरकार ने अपने हाथ में रखा है। वह अधिकार अपने हाथ में रखना नहीं चाहिए था। जब कि राजस्थान सरकार एक बोर्ड बनाती है और आज जो दूसरे बोर्ड हैं; जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपेलिटीज़ और पंचायतें बनीं हैं उनमें तो चुने हुए आदमी आते हैं और इस बोर्ड में चुने हुए आदमी किस तरह के होते हैं; वह दूसरे वातावरण के आदमी होते हैं कि उनको शायद सरकार समझे कि सब तरह के आदमी उसमें आये हैं इस बोर्ड के अन्दर, तो वह राजस्थान के तपे हुए आदमी, राजस्थान में सार्वजनिक जीवन के कार्य करने वाले आदमी, राजस्थान के अन्दर रचनात्मक काम करने वाले आदमी हैं। वे इस बोर्ड के जब सदस्य होंगे तो ऐसा मानकर चलना चाहिये राजस्थान सरकार को कि उन इतने ऊंचे दर्जे के आदमी, जो कि आज हम लोग भी, मेरे जैसा आदमी भी नहीं है इतने ऊंचे दर्जे के दूसरे माननीय मन्त्रीगण भी नहीं है और जो कि दूसरी केबिनेट है उसमें भी इस तरह के, माननीय मन्त्रीजी ने नहीं बताया, आदमी हैं; तो इतने उंचे दर्जे के कार्यकर्त्ता होंगे तो उनको ही सारे अधिकार देने चाहिये। उनको राजस्थान सरकार बात-बात में, हर क्लॉज़ के अन्दर बाध्य कर चलती है तो इस तरह का बोर्ड राजस्थान सरकार ने बनाया है तो वह बोर्ड नहीं बनाना चाहिए था, और उन सदस्यों के जो...

श्री सभापति (श्री गुलाबचन्द कासलीवाल)—माननीय सदस्य यह बतायेंगे कि उनका अभिप्राय क्या है ? यह बिल पास किया जावे अथवा नहीं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—मैं बोल रहा हूं।

श्री सभापति—आप बोल तो रहे हैं लेकिन आपका अभिप्राय क्या है बोलने का ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—अभी मैं सिर्फ एक मिनिट और बोलूंगा और बस खत्म कर दूंगा।

ऐसे बिल को पास नहीं किया जावे, क्योंकि इसके अन्दर जो क्लॉजिज़ हैं वे गड़बड़ हैं। तो ज्यादा अच्छा होगा कि प्रत्येक क्लॉज पर संशोधन माननीय मन्त्रीजी को अपने आप ही कर लेना चाहिये और फिर इस बिल को पास करना चाहिये।

श्री धूलजी भाई भावसार--अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस विषय में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री सभापति—मंत्री महोदय, जिन्होंने यह बिल प्रस्तुत किया है वे कह रहे हैं।

श्री धूलजी भाई भावसार—मैं इस बोर्ड के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री सभापति—आप भी फरमाइये, लेकिन पहले अध्यक्ष महोदय ने ऐसा निश्चय कर लिया था कि श्री मुक्तिलाल मोदी के अतिरिक्त और कोई नहीं बोलेंगे।

श्री धूलजी भाई भावसार—मैं भी अपने थोड़े से विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

श्री सभापति—अध्यक्ष महोदय ने जो निर्णय दिया है वह मान्य रखना चाहिए।

श्री भोगीलाल पंड्या—अध्यक्ष महोदय, अभी इस तीसरी रीडिंग में बोर्ड के बारे में मेरे माननीय मित्र ने वे ही बातें दोहराई हैं जो उन्होंने पहले कही थीं। मैंने अपने उत्तर में साफ बताया था कि खण्ड २ (ग) और खण्ड ३० को देख लें, उसके बाद में हमारे दिलों में यह सन्देह नहीं होना चाहिए था कि क्या भत्ता दिया जायगा, क्या किया जायगा? इसके लिए जो नियम बनने के हैं वे नियमानुसार ही बनाये जायेंगे। इसके बावजूद मैंने यह भी बतलाया था कि सरकार इस तरह के सार्वजनिक कार्य-कर्ता या नॉन ऑफिशियल सदस्य बनायेगी उन सब के लिए एक ही तरह के भत्ते के नियम बनेंगे, वे उनको मिलेंगे। इसके बावजूद भी न मालूम क्यों इन्हीं बातों को दोहराया गया है। कर्जे के बारे में नियम बतला दिये हैं, फिर भी उन्होंने दोहराया है। जो साहब कर्जा देंगे, बोर्ड की माली हालत को देखकर ही कर्जा देंगे, यह आम कायदा है। उसके बारे में मैं और क्या कहूं।

तीसरी बात यह भी बतलाई गई है और बार-बार यह कहा जाता है कि जो तपे हुए आदमी होंगे उनके बारे में गवर्नमेंट संदेह प्रकट करती है। गवर्नमेंट अच्छे से अच्छे रचनात्मक काम करने वाले जो आदमी हैं उनको देना चाहती है। गवर्नमेंट यह भी अच्छी तरह से जानती है कि वे इतने स्वाभिमानी व्यक्ति हैं कि यदि उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली बात होगी तो एक सेकण्ड भी वे सदस्य नहीं रहेंगे और काम नहीं करेंगे। इसलिए मैं ख्याल करता हूं कि इसको पारित किया जावे।

श्री सभापति--प्रश्न यह है कि :—

"राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड विधेयक, १६५५ पारित किया जावे।"

(निर्विरोध स्वीकृत)

राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग विधेयक, १६५५ पारित हुआ।

(करतल ध्वनि)

Page No.69

राजस्थान लगान दर पुनर्विलोकन तथा वैधकरण विधेयक, १९५५
(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री सभापति—श्री दामोदरलाल व्यास।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय चेयरमेन महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लगान दर पुनर्विलोकन तथा वैधकरण विधेयक, १९५५, विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि :—

"राजस्थान रिव्यू एन्ड वेलिडेशन ऑफ रेन्ट रेट्स बिल, १९५५, को विचारार्थ लिया जाय।"

(स्वीकृत)

राजस्थान रिव्यू एन्ड वेलिडेशन ऑफ रेन्ट रेट्स बिल, १९५५, को विचारार्थ लेने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री दामोदरलाल व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री तनसिंह—अध्यक्ष महोदय, I object to this motion being taken just today under Rule 146 of the Rules of procedure. There is no amendment to this motion under consideration and so it should not be taken today, but postponed for a further day; may be for tomorrow.

श्री सभापति (श्री गुलाबचन्द कासलीवाल)—यदि नियम १४६ के उप नियम (२) के अनुसार कोई संशोधन उस बारे में उपस्थित नहीं किया गया है तो एतराज नहीं माना जा सकता और यह बिल विचारार्थ लिया गया।

श्री तनसिंह—इसे विचारार्थ लेने के विषय में मेरा एतराज नहीं है। मन्त्रीजी ने प्रस्ताव किया है कि इसको पास किया जाय। इसके क्लॉज़ बाई क्लॉज़ डिस्कशन नहीं हो सकता तो एट वन स्ट्रोक यह पास हो जाता है। मंत्रीजी की इस नीयत से मैं यह समझा हूं कि सेकन्ड स्टेट पार कर के थर्ड स्टेज में रखा जाय। मैं यह चाहता हूं कि इसको उस स्टेज में रखा जाय जिसमें हम अपना मन्तव्य सदन के सामने प्रस्तुत कर सकें। रूल १४६ में स्पष्ट है कि उसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ है इसलिये आज ही वह दिन नहीं है जब कि इसे पास किया जाय।

श्री सभापति—आप इस क्लॉज़ के शब्दों पर विचार करिये। इसमें लिखा है :—

"If any amendment of the bill is made, any member may object to any motion being made on the same day that the bill be passed, and such objection shall prevail unless the Speaker allows the motion to be made."

क्योंकि इसमें कोई संशोधन उपस्थित नहीं किया गया है इसलिये यह बिल आज ही पारित किया जाय; यह प्रस्ताव उपयुक्त है।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि राजस्थान रिव्यू एंड वेलिडेशन ऑफ रेन्ट रेट्स बिल, १९५५ पारित किया जाय।

(मतदान के पश्चात्)

हाँ पक्ष जीता।

श्री जवानसिंह—Noes have it, Sir.

श्री सभापति—Ayes have it by voice voting. राजस्थान रिव्यू एंड वेलिडेशन ऑफ रेन्ट रेटस बिल, १९५५ पारित किया गया।

श्री जवानसिंह—No sir, noes have it.

श्री सभापति—I said twice and it was by voice voting. Besides no objection was raised.

श्री जवानसिंह—It was challenged thrice. The question was put twice and it was challenged thrice.

श्री खेतसिंह—पारित किये जाने के बाद no body can challenge the ruling of the Chair.

श्री सभापति—He wishes to point out that there was some mistake in not hearing properly. As such I once again put a Question.

(विराम)

The Question is that the Rajasthan Review and validation of the Rant Rates Bill, 1955 be passed.

(मतदान के पश्चात्)

Ayes have won.

श्री जवानसिंह—Noes have it, sir.

श्री सभापति—You want Division then ?

श्री जवानसिंह—That goes without saying, sir.

(विभाजन घण्टी बजने के पश्चात्)

श्री सभापति—मैं एक बार फिर यह प्रश्न आपके सामने उपस्थित करता हूं। राजस्थान रिव्यु एन्ड वेलिडेशन ऑफ रेन्ट रेट्स बिल, १६५५ पारित किया जाय ?

(मतदान के पश्चात्)

खाली एक आवाज 'ना' की है। 'हां' पक्ष जीता।

राजस्थान रिव्यु एन्ड वेलिडेशन ऑफ रेन्ट रेट्स बिल, १६५५ पारित हुआ।

(विराम)

नेक्स्ट, श्री रामकिशोर व्यास।

राजस्थान सामान्य खण्ड विधेयक, १६५४ (विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री रामकिशोर व्यास—चेयरमेन महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान जनरल क्लॉजेज़ बिल, १६५४, जिसे प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि राजस्थान जनरल क्लॉजेज़ बिल, १६५५ एज रिपोर्टेड बाई दी सिलेक्ट कमेटी, विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

'हां' पक्ष जीता। राजस्थान जनरल क्लॉज़ेज़ बिल १६५४ विचारार्थ लेने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रामकिशोर व्यास— मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान जनरल क्लॉजेज़ बिल, १६५४ जिसे प्रवर समिति द्वारा पेश किया गया है, पारित किया जाय।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि राजस्थान जनरल क्लॉजेज बिल, १६५४ जिसे प्रवर समिति द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

Rajasthan General Clauses Bill 1954 as reported by the Seleet Commitee is passed.

अतिरिक्त मांगें स्वीकार करने सम्बन्धी वाद-विवाद

आज की कार्यवाही समाप्त हुई। फिर माननीय स्पीकर महोदय की आज्ञा की इन्तजारी है कि कल किस समय अधिवेशन शुरू होगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)—माननीय चेयरमेन, एक्सेस डिमान्ड्स के सम्बन्ध में सूचना सब के पास पहुंच चुकी है उसमें मेरे ख्याल से ज्यादा समय नहीं लगेगा। पब्लिक अकाउन्ट्स

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

कमेटी और ऑडिट ने उसकी जांच कर ली है। यह एक्सेस डिमान्ड आज के एजेन्डा में नहीं रखी गई है। लेकिन इसमें बहुत कम समय लगेगा, इसलिये इसको आज ही ले लिया जाय तो किसी को आपत्ति नहीं होगी।

श्री सभापति—इस सम्बन्ध में मैं माननीय अध्यक्ष की आज्ञा की इन्तजारी में हूं।

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन, मन्त्री महोदय ने जो अनुदानों को पास करने के बारे में निवेदन किया उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज के प्रोग्राम में इस प्रकार का कोई समावेश नहीं रखा था इसलिये ये अभी किसी सूरत में पेश नहीं किये जा सकते क्योंकि कोई इसके लिये तैयार होकर नहीं आया है, इन अनुदानों पर वाद-विवाद करने के लिये कोई तैयार होकर नहीं आया है। तारीख २ को शनिवार आता है इसलिये निवेदन है कि हमारे सदन की आज तक यह परम्परा रही है कि शनिवार को कभी काम नहीं किया करते थे। इस समय ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि २ तारीख को भी बैठ कर कार्य-सम्पादन करें। ऐसी कोई आवश्यक चीज नहीं है इस-लिये निवेदन करूंगा कि इस सदन की शनिवार की छुट्टी रख कर तारीख ४ को बैठें।

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

श्री अध्यक्ष—आज ही ले लिया जाय! It is a very formal affair. If it is a technical objection, then.........

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह तो ऑडिट के हिसाब से खाना-पूर्ति करना है, सेंक्शन देने की डिमान्ड्स हैं।

श्री तनसिंह—कैसे भी हो, यह आज तो नहीं लिया जा सकता, क्योंकि एजेंडा में नहीं है। यह रूल्स के खिलाफ है।

श्री अध्यक्ष—कौन से रूल्स?

श्री तनसिंह—एजेन्डा में है उसी पर डिस्कशन कर सकते हैं। जो एजेन्डा में नहीं है उसको कैसे लिया जा सकता है? मेरे प्रस्तावों को तो पेश नहीं किया गया और अब चूंकि यह मन्त्री महोदय का प्रस्ताव है इसलिये इसको पेश करने की इजाजत देना; यह मेरे साथ अन्याय और मन्त्री महोदय के साथ पक्षपात करना होगा।

श्री अध्यक्ष—एक्सेस डिमान्ड्स सर्कुलेट तो कर दी गई हैं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जी हां।

श्री अध्यक्ष—तो ऑफ्टर नून सेशन कर लें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त-मन्त्री)—इसमें तो साहब एक घन्टा भी नहीं लगेगा।

श्री अध्यक्ष—यह तो कोई आवश्यक बात नहीं।......

श्री मथुरादास माथुर—माननीय अध्यक्ष, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि एक-आध घन्टे का कार्य रह गया है, इसके लिये कल तो छुट्टी है, परसों फिर मिलें, यह ठीक नहीं क्योंकि बहुत से सदस्य राष्ट्रपति की विज़ीट के कारण यहां से चले गये हैं। या तो इसे इसी वक्त ले लिया जाय या जैसा कि मेरे भाई तनसिंह जी ने कहा है और वे उस पर जोर दे रहे हैं तो फिर यह हो सकता है कि हाउस को साइन डाइ (Sine die) एड्जोर्न करें। यह तो एक्सेस डिमान्ड हैं, जब भी चाहेंगे, पास कर लेंगे। ऐसी सूरत में सिम्पली आध घन्टे के लिये सदन की बैठक बुलाना, यह तो ठीक नहीं।

श्री अध्यक्ष—In this connection, so far as the list of business is concerned the Speaker decides the next business after consulting the Leader of the House. So if the Deputy Leader wants to take the excess demands, we can sit for one hour or so; or we can sit on the next day and then adjourn. So it is upto the Deputy Leader to say as to what he wants ? Otherwise the House will be adjourned sine die.

श्री रामकिशोर व्यास (सदन के उपनेता)—साइन डाई एडजोर्न कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—Then we adjourn sine die.

(सदन की बैठक ११ बज कर साढ़े सत्ताईस मिनिट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन
जयपुर,
दिनांक-३१ मार्च, १९५५.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो प्रश्नकर्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनको प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मंत्री महोदय की अनुमति है)

३२७.(६६/एच.एम.) श्री महादेवप्रसाद बंका, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ६२:— क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) जिला टोंक में सन् ५३-५४ में कुल कितनी डकैतियां व चोरियां हुई ?

(ख) उनमें से कितनी में सामान वापिस दिलवाया गया ?

उत्तर

(क) जिला टोंक में सन् १६५३ में ३५६ तथा सन् १६५४ में ३२७ डकैतियों तथा चोरियों की रिपोर्ट दर्ज हुई।

(ख) इसमें से सन् १६५३ में ६८ तथा सन् १६५४ में ७३ बरामद हुई।

(ग) जी हां।

(घ) चुराई गई वस्तुओं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ङ) इस सम्बन्ध में कोई आदमी नहीं पकड़ा गया है मामला अभी तक जैर तफतीश है।

Page No.75

प्रथम सूचना-पत्र क्रम न० ५८ धारा ४५७ थाना निवाई में चोरी गई वस्तुओं की सूची

१.	फूल गोले में पहनने का सोने का वजनी डेढ मोहर	कीमत	११२ रु० ८ आ०
२.	मुरकी १ जोड़ी वजनी एक तोला		७५ रु०
३.	बोरला सोना वजनी एक तोला		७५ रु०
४.	खुंगाली एक चांदी वजनी ८० भर		१२० रु०
५.	खुंगाली एक चांदी वजनी ४० भर		६० रु०
६.	कनगती एक चांदी वजनी ३० भर		४५ रु०
७.	आंवला एक जोड़ी चांदी वजनी ३० भर		४५ रु०
८.	नेवरी एक जोड़ी चांदी वजनी ३० भर		४५ रु०
९.	आंवला एक जोड़ी चांदी ३० भर		४५ रु०
१०.	नेवरी एक जोड़ी चांदी २० भर		३० रु०
११.	आंवला एक जोड़ी चांदी वजनी २० भर		३० रु०
१२.	नेवरी एक जोड़ी चांदी वजनी २० भर		३० रु०
१३.	पूंछी ८ चांदी ६ पोली २ नग वजनी ९० भर		१३५ रु०
१४.	बंगडी चार चांदी की पोली वजनी ५६ भर		८४ रु०
१५.	पीपल पत्ता दो जोड़ी वजनी १५ भर		२२ रु० ८ आ०
१६.	बाजू ६ चांदी वजनी ९० भर		१३५ रु०
१७.	हसेल गले की चांदी की वजनी २० भर		३० रु०
१८.	गोल्या चांदी पैरों के १० भर		१५ रु०
१९.	कनगती चांदी वजनी १० भर		१५ रु०
२०.	खुंगाली चांदी वजनी २० भर		३० रु०
२१.	छल्ले हाथों के जोड़ी १२, ९ भर		१३ रु० ८ आ०
२२.	कठला चांदी १ जोड़ी १० भर		१५ रु०

Page No.76

२३. कटला चांदी २एक छोटा एक बडा १३ भर	कीमत	१८ रु०
२४. नकद नोट १०, १० के दो ८५० के एक-एक के		९०० रु०
२५. घागरा नीली छींट का		५ रु०
२६. घागरा छींट पीली		५ रु०
२७. घागरा छींट नीली		५ रु०
२८. बटन जोड़ी चांदी		७ रु० ८ आ०
२९. साडी रेशमी गुलाबी		६ रु०
३०. लूगडी पीला गोटादार		३ रु०
३१. लूगडी बनी		१० रु०
३२. एक जोड़ा धोती लाल किनारी		६ रु०
३३. एक साफा रंग पीला मलमल		७ रु०
३४. दो गज छींट नीली सफेदबूंटी की		१ रु० ८ आ०
३५. परमटा बरंग काला २ गज		२ रु०
३६. एक लूगड़ा पीला सफेद गोटा		५ रु०
३७. एक लूगड़ी लाल टूल की		४ रु०
३८. एक लूगड़ी छींट की		५ रु०
३९. एक लूगड़ी छींट की		३ रु०
४०. एक लूगड़ी सनी बरंग पीली		३ रु०
४१. एक लहंगा सनी गुलाबी		६ रु०
४२. एक घागरा छींट १० गज लाल रंग		७ रु०
४३. चार बक्स ३ हरे एक सफेद		१० रु० ८ आ०
४४. कांचली रंग बरंग ३६		१९ रु०
४५. पगड़ी लाल ६ एक लहरिया		९ रु० ४ आ०

४६. गिलास पुराना चांदी	कीमत	७ रु० ८ आ०
४७. चार चम्मच २ पीतल २ कलई		२ रु० ८ आ०
४८. कटोरी पांच पीतलगिलास १ छोटा		५ रु०
४६. बटन चांदी लड़दार २ गुन्डी		३ रु०
५०. कमीज रंग बरंग ५ बच्चों की		१५ रु०
५१. कोट बादामी रंग नया		६ रु०
५२. कब्जा रंग बरंग चार		८ रु०
५३. कब्जा व कमीज सांवरंग बच्चों को ६		३ रु०
५४. सूटर ऊनी बच्चे का		१ रु०
५५. कपड़े बिछाने के ४		१६ रु०
५५. घागरा छींट २ बरंग हरी सफेदबूंटी की		१२ रु०
५६. घागरा की एक फड़दी		३ रु० ८ आ०
५८. लूगड़ी सूती बरंग गुलाबी		८ रु०
५६. लूगड़ी छींट गोटा लगा हुआ		३ रु०
६०. लूगड़ी छींट गोटा लगा हुआ		२ रु०
६१. लूगड़ी नीली छींट की		४ रु०
६२. लूगड़ी बरंग मोतिया		३ रु०
६३. लूगड़ी बरंग पीली लाल		३ रु०
६४. पांच गज छींट लाल हरी पीली लाल बूंटी की		७ रु० ८ आ०
६५. २ गज टुकड़ा छींट बरंग हरी बूंटी बेगनिया		१ रु० ८ आ०
६६. अबरा दो टुकड़े रग बिरंगे		३ रु०
६७. गिलाफ तकिया फूलदार		१ रु० ८ आ०
६८. पतलून खाकी		४ रु०

६९. जुर्राब सूती बरंग खाकी	कीमत	१ रु० ८ आ०
७०. लूगड़ी बरंग केसरा मलमल		२ रु०
७१. पजामा बच्चे का धारीदार		१ रु० ८ आ०
७२. तीन खलीती कपड़ा रंग-बिरंगा		२ रु० ४ आ०
७३. चार पुरजा मशीन सिंगर		६ रु०
७४. एक इन्ची-टेप		१ रु०
७५. दो गोदडा चत्वा पुली का वजनी २ भर		१ रु० ८ आ०
७६. बेलन लकड़ी		१२ आ०
७७. टुकडा कमीज हरी सफेद धारीदार ढाई गज		२ रु० ८ आ०
७८. मलेशिया १० गिरह		८ आ०
७९. मुतफर्रिक सामान		५ रु०
८०. २ बही एक किताब		३ रु०
८१. ताले चार		१ रु०
८२. कोट खाकी नया		१० रु०
८३. कोट खाकी सफेद		८ रु०
८४. बासकट ऊनी खाकी अस्तर मलेशिया		४ रु०
८५. पीचालमी लाल बूंटी		५ रु०
८६. टुकड़ा टूल डेढ गज		३ रु०
८७. परमटा काला २ गज		३ रु०
८८. टुकड़ा फर्द घागरा १ गज		२ रु०
८९. टुकड़ा छींट १२ गिरह		१ रु०

६०. डिब्बा टीन	कीमत	८ आ०
६१. फीता सूती ४ गिरह	४ रु०	
६२. रस्सी सूती बैलों की	१२ आ०	
६३. नारियल ३	१ रु०	
६४. बक्स १ बरंग हरा	१० रु०	
६५. बक्स हरा एक	१० रु०	
६६. ताले दो		८ आ०
७०. मुतफर्रिक सामान टुकड़े कपड़ा वगैरह	१० रु०	

यह माल चोरी गया जो कुल रु० २३६५ का होता है।